प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई–पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 44 अंक–14 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 1–8 अप्रैल 2019 मूल्य पांच रूपए

सरकार के खिलाफ पार्टी का आरोप पत्र और वीरभद्र का जयराम को ईमानदारी का प्रमाणपत्र

शिमला/शैल। कांग्रेस ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अन्ततः पूर्व मन्त्री और श्री नयना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस घोषणा के साथ प्रदेश की चारों सीटों के लिये उम्मीदवारों के चयन की क्रिया पूरी हो गयी है। जिन चार लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है उनमें से तीन रामलाल ठाकुर, पवन काजल और धनी राम शांडिल

मौजूदा विधायक हैं। केवल मण्डी से ही युवा और नये चेहरे आश्रय शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। लेकिन आश्रय की राजनीतिक पृष्ठभूमि बाकी तीनों से कहीं ज्यादा भारी है। क्योंकि उनके दादा पंडित सुखराम प्रदेश और केन्द्र सरकार में मन्त्री रहे हैं तथा पिता अनिल शर्मा अभी तक जयराम सरकार में मन्त्रिमण्डल में ऊर्जा मंत्री हैं।

इस तरह कांग्रेस द्वारा तीन विधायकों को लोकसभा चुनावों में उतारने से संगठन की स्थिति सामने आ जाती है कि कांग्रेस का संगठन कितना मज़बूत है। जब संगठन किन्ही कारणों से कमजोर से हो तो रणनीति ही रह जाती है जिससे प्रतिद्वन्दी को मात दी जा सकती है। इस रणनीति के तहत ही पंडित सुखराम और उनके पौत्र को भाजपा से तोड़कर कांग्रेस में शामिल किया गया तथा चुनाव का टिकट भी दे दिया गया। इसी गणित में हमीरपुर से भाजपा के तीन बार सांसद रह चुके और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चन्देल को कांग्रेस में शमिल करके उन्हें उम्मीदवार बनाने की चर्चा उठी थी। इसी चर्चा के कारण हमीरपुर के टिकट का फैसला इतनी देर से हुआ और चन्देल की चर्चा सिरे नहीं चढ़ी तथा रामलाल ठाकुर को टिकट दिया गया। राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में चन्देल का शामिल न हो पाना कांग्रेस की बड़ी रणनीतिक असफलता मानी जा रही है क्योंकि यदि चन्देल पार्टी में शामिल हो जाते तो यह भाजपा के लिये मनोवैज्ञानिक तौर पर एक बड़ा झटका होता है। अब रामलाल के उम्मीदवार होने के बाद यहां कांग्रेस किस तरह से अपनी ईमानदार एकजुटता का परिचय देती है यह आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सत्रह विधानसभा क्षेत्रों में से पांच पर कांग्रेस का कब्जा है और एक पर निर्दलीय का है। यहीं से नेता प्रतिपक्ष मुकश्ष अग्निहोत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविन्दर सिंह सुक्खु ताल्लुक रखते हैं। इन्हीं के साथ सुजानपुर के राजेन्द्र राणा जिन्होंने विधानसभा में प्रेम कुमार धूमल को हराकर प्रदेश की राजनीति को ही एक नयी करवट पर ला दिया उन्हें भी अपने को पुनः प्रमाणित करने की चुनौती होगी। क्योंकि वीरभद्र सिंह ने बहुत अरसा पहले ही राजेन्द्र राणा के बेटे अभिषेक राणा को हमीरपुर से भावी प्रत्याशी घोषित कर दिया था और अन्त तक अपने स्टैण्ड पर टिके रहे हैं। ऐसे में सुजानपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन राणा और वीरभद्र सिंह दोनो की ही नीयत और नीति की कसौटी भी बन जाता है।

इस समय प्रदेश कांग्रेस में सबसे बड़ा नाम वीरभद्र सिंह का ही है इसमें कोई दो राय नही है। भले ही वह ईडी और सीबीआई के मनीलॉड्रिंग तथा आय से अधिक संपत्ति के मामले झेल रहे हैं। वीरभद्र एक प्रमाणित राजनीतिक प्रबन्धक हैं यह सभी मानते हैं। उनके इसी प्रबन्धन का कमाल है कि इन मामलो में सहअभियुक्त बने आनन्द चौहान और वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर की तो गिरफ्तारी हो गयी लेकिन वीरभद्र पर हाथ नही डाला जा सका। बल्कि जब ऐजैन्सी ने वक्कामुल्ला की जमानत रद्द करवाने के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय में दस्तक दी तब न्यायालय ने इसी बिन्दु पर ऐजैन्सी को लताड़ लगायी कि मुख्य अभियुक्त को छोड़कर सहअभियुक्तों के खिलाफ कारवाई क्यों। आज वीरभद्र के खिलाफ चाहे दोनों मामलों में प्रतिकूल फैसला आ जाए लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी का वक्त निकल गया है और सर्वोच्च न्यायालय तक अपीलों का रास्ता खुला है। आज मोदी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति कितनी गंभीर और ईमानदार है उसका इसी से अन्दाजा लग जाता है। वीरभद्र के बाद दूसरे बड़े नाम हैं कौल सिंह ठाकुर, जी एस बाली, सुक्खु, अग्निहोत्री, आशा कुमारी और सुधीर शर्मा। कांग्रेस के बाकी नेताओं की गिनती इनके बाद आती है। अग्निहोत्री, आशा कुमारी और सुधीर शर्मा वीरभद्र कैंप माना जाता है। कौल सिंह और सुक्खु इकट्ठे माने जाते हैं और जी एस बाली को कभी दोनों के साथ तो कभी अलग गिना जाता है। इस तरह प्रदेश कांग्रेस दो हिस्सों में बंटी हुई है। दिल्ली में बैठे आनन्द शर्मा दोनो धड़ों को बराबर अपनी सुविधानुसार समर्थन देते रहते हैं। उनका इतना ही तय है कि वह वीरभद्र सिंह का कभी भी मन से विरोध नही करते हैं बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि आज आनन्द शर्मा जिस मुकाम पर हैं उसमें सबसे ज्यादा योगदान और समर्थन वीरभद्र सिंह का ही रहा है

कांग्रेस का सूरते हाल

आज लोकसभा चुनावों के परिदृश्य में कांग्रेस के इस गणित को नजरअन्दाज करके कोई आकलन नहीं किया जा सकता। यह एक जमीनी सच है कि आज यदि वीरभद्र सिंह ईडी और सीबीआई के हाथों बड़ी कारवाई से बचे रहे हैं तो इसके लिये उनके मोदी सरकार के साथ भी कहीं न कहीं अच्छे रिश्तों की भूमिका अवश्य रही है। यह भी स्वभाविक है कि जब आप किसी से सहयोग लेते हैं तो कभी उसे ब्याज समेत लौटाना भी पड़ता है। फिर राजनीति मे इस लेनदेन का सबसे सही वक्त चुनाव ही होता है। यदि इस गणित से पिछले करीब चार महीनों की प्रदेश की राजनीति का आकलन किया जाये तो सबसे पहले यह आता है कि जब वीरभद्र सिंह ने जयराम सरकार को यह अभय दान दिया था कि उनके खिलाफ सत्र में बड़ी आक्रामकता नही अपनाई जायेगी। इसके बाद वीरभद्र सिंह ने खुलेआम कहा कि मण्डी से कोई भी मकरझण्डू चुनाव लड़ लेगा। मण्डी के बाद हमीरपुर और कांगड़ा से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अभिषेक राणा और सुधीर शर्मा की उम्मीदवारी घोषित कर दी। इस उम्मीदवारी की घोषणा के बाद सुक्खु को अध्यक्ष पद से हटाने के लिये कुलदीप राठौर के नाम पर अपनी मोहर लगा दी। जब हमीरपुर से एक समय प्रैस ने सुक्खु के संभावित उम्मीदवार होने पर प्रश्न प्रश्न पूछा तो सीधे कह दिया कि हाईकमान में ऐसा कोई मूर्ख नही है जो सुक्खु का उम्मीदवार बनायेगा। अब सुखराम को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया वीरभद्र दे रहे हैं उससे और स्पष्ट हो जाता है कि वह किसी बड़े दवाब में चल रहे हैं। क्योंकि जो कुछ पिछले चार-पांच महीनों में घटा है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वीरभद्र की प्राथमिकता भाजपा को हराने की तो बिल्कुल भी नही रही है। आज राष्ट्रीय स्तर पर पूरा देश भाजपा और गैर भाजपा में बंटा खड़ा है और वीरभद्र जयराम सरकार को ईमानदारी का प्रमाणपत्र बांट रहे हैं जबकि अभी कुछ समय पहले ही कांग्रेस ने इसी सरकार के खिलारफ राज्यपाल को एक आरोपपत्र सौंपा है। इस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस और वीरभद्र दो अलग-अलग ध्रुवों के रूप में सामने आते हैं और यही सबकुछ इस पर गंभीर सवाल भी खड़े कर जाता है।

क्योंकि जब वीरभद्र जैसा बड़ा नेता भाजपा की प्रदेश सरकार को ईमानदारी का प्रमाणपत्र बांटेगा तो फिर चुनाव प्रचार अभियान में किस आधार पर उस सरकार के खिलाफ वोट मांगेगा। जब सुखराम को आया राम गया राम की संज्ञा देंगे तो फिर कैसे उसके साथ स्टेज शेयर करेंगे।

इस तरह के कई सवाल एक साथ उठ खड़े हुए हैं। इन सवालों से कांग्रेस का पक्ष निश्चित रूप से कमजोर होता है। फिर इसी के साथ चारों क्षेत्रों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक दूसरे से नाराज़गी की खबरें भी आये दिन प्रमुखता से सामने आ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर के लिये संगठन के भीतर की इस खेमेबाजी को नियन्त्रण में रख पाना बहुत आसान नही होगा। क्योंकि वीरभद्र जैसे बड़े नेताओं को इस ऐज-स्टेज पर पार्टी अनुशासन में बांध कर रखना बहुत आसान नही होगा। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी भाजपा का मुकाबला करने से पहले अपने ही घर को अनुशासन में कैसे रख पाती है।

यह हैं कांग्रेस प्रत्याशी

आश्रय शर्मा
मण्डी

रामलाल ठाकुर
हमीरपुर

डॉ. धनीराम शांडिल
शिमला

पवन काजल
कांगड़ा

मण्डी लोकसभा चुनाव राष्ट्रवाद और परिवारवाद के बीच लड़ा जाएगाः मुख्यमन्त्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिराज विधान सभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की जनता की सेवा करने का दायित्व भाजपा नेतृत्व ने उन्हें सौंपा है, उसे वह अपना सौभाग्य मानते हैं। एक लम्बे संघर्ष के पश्चात् मण्डी लोकसभा क्षेत्र को यह सम्मान मिला है और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि अपने सम्मान की रक्षा के लिए मण्डी की जनता वर्तमान लोकसभा चुनावो में भाजपा को ऐतिहासिक विजय दिलाएगी।

प्रदेश मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखने के पश्चात् शायद ही कोई देशभक्त होगा जो कांग्रेस को वोट देगा। देशद्रोह की धारा 124ए और सेनाओं को अफस्पा कानून के तहत मिलने वाले विशेषाधिकार को खत्म करने का वायदा करके कांग्रेस ने देश की एकता और अखण्डता पर क्रुरतम प्रहार किया है। देश की जनता ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी एक दिन अलगावादियों के साथ खड़ी हो जाएगी। देश की सुरक्षा और सैनिकों की जान के लिए खतरे पैदा करने वाला ऐसा कदम तो देश के प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉ मनमोहन सिंह ने भी नहीं उठाया था। कांग्रेस के घोषणा पत्र को देख कर लगता है कि कांग्रेस का हाथ अब देशभक्तों के साथ नहीं बल्कि देशद्रोहियों के साथ हो गया है।

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नेतृत्व, नीति और नीयत के अभाव में कांग्रेस पार्टी पहले से ही बिखरी हुई थी और अब अवसरवादियों द्वारा आर्थिक संसाधनो के दम पर टिकट हथियाने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है। व्यक्तिवाद के समर्थक कुछ लोग एक हारी हुई लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मण्डी में लोकसभा चुनाव राष्ट्रवाद और परिवारवाद के बीच लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अब यह चुनाव किसी की व्यक्तिगत अह्म को संतुष्ट करने के बजाए यह चुनाव मण्डी की जनता के सम्मान और स्वाभिमान का चुनाव बन चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा किसी वोटर आई.ए.एन.एस. के सर्वे में लोकप्रियता के आधार पर हिमाचल प्रदेश को देशभर में श्रेष्ठ घोषित करना उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं बल्कि प्रदेश की जनता का सामुहिक रूप से सम्मान है और उसके लिए प्रदेश के साथ वह अपने विधान सभा क्षेत्र व मण्डी की जनता के आभारी है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा उनका साथ दिया है और एक वर्ष की छोटी से अवधि में हिमाचल प्रदेश ने केन्द्र की लगातार आर्थिक सहायता के चलते प्रदेश में विकास की नई नींव रखी है।

मात्र एक वर्ष की अवधि में डबल इंजन वाली सरकार की उपमा को सार्थक सिद्ध किया है। प्रदेश के विभिन्न विभागो में 10,500 करोड़ रू. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से हिमाचल ने प्रगति की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए हैं। सामाजिक सुरक्षा पैंशन में आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने, जनमंच, हिम केयर जैसी योजनाओं से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के प्रयास किए गए हैं। इसी के साथ 69 राष्ट्रीय उच्च मार्ग, मैडिकल कॉलेज, एम्स जैसी केन्द्रीय परियोजनाओं के शुभारंभ से हिमाचल विकास की नई गाथा लिख रहा है जिसके चलते प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा एक ऐतिहासिक विजय की ओर अग्रसर हो रही है।

प्रदेश पुलिस विभाग में 1063 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू

शिमला/शैल। हिमाचल पुलिस में आरक्षी की भर्ती के लिए आनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 30 मार्च 2019 से शुरू हो गई है तथा आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल 2019 है। कुल पद 1063 हैं जिनमें 720 पुरूष, 213 महिला व 130 पुरूष चालक के हैं ।

आरक्षी भर्ती हेतु आवेदन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश तथा तकनीकी समस्या की स्थिति में जिला पुलिस कार्यालय में तैनात सम्बन्धित कर्मियों के सर्म्पक नम्बर, हिमाचल प्रदेश पुलिस की बैवसाईट पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय पर भी एक तकनीकी टीम गठित की गई है जो पूरी प्रक्रिया को निरन्तर मोनिटर करती है ।

यह कहना आवश्यक है कि यदि आवेदनकर्ता, ऑनलाईन आवेदन करने में किसी प्रकार से असमर्थ है तो वह निकट स्थित लोक मित्र केन्द्र के माध्यम से भी निश्चित दरों पर अपना आवेदन भेज सकता है।

स्वीप अभियान के तहत आईटीआई में मतदाता जागरूकता कार्यशाला आयोजित

मण्डी/शैल। मण्डी जिला में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे स्वीप अभियान के तहत जिला प्रशासन ने आई.टी.आई. मण्डी में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में युवाओं को अपने मताधिकार के महत्व एवं निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने पर खास ध्यान है। 'सप्रेम' अभियान के तहत प्रशासन की टीमें किन्हीं कारणों से पंजीकरण से छूट गए पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज करने में जुटी हैं।

उन्होंने युवाओं का आह्वान

सही प्रयोग को लेकर जागरूक करने के साथ ही मतदाता जागरूकता अभियान में सक्रिय सहयोग के लिए प्रेरित किया गया। कार्यशाला में 350 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने मतदाता जागरूकता के लिए चलाए गए जिला प्रशासन के 'सप्रेम' अभियान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वीप गतिविधियों के तहत चलाए गए 'सप्रेम' यानि 'संपर्क प्रत्येक मतदाता' अभियान में जिला के प्रत्येक मतदाता से व्यक्तिगत संपर्क साध कर उन्हें मतदान प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिला प्रशासन का 18-19 वर्ष की आयु वर्ग के नए मतदाताओं को स्वीप कार्यक्रम के तहत किया कि वे केवल अपने मताधिकार के प्रयोग तक ही सीमित न रहें बल्कि अन्य लोगों को भी मतदान के लिए जागरूक करने में सहयोग करें।

उन्होंने इस मौके मतदाता जागरूकता रैली को आई.टी.आई. परिसर से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। यह रैली भ्यूली होते हुए वापिस आई.टी.आई. परिसर में संपन्न हुई।

कार्यशाला में युवाओं को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एक मतदाता जागरूकता लघु फिल्म दिखाई गई। इस अवसर पर छात्रा सीता ने 'लोकतन्त्र व मतदाता विषय पर अपने विचार रखे। कार्यशाला के दौरान उपस्थित लोगों को मतदान सम्बन्धी शपथ दिलाई गई।

पर्यटन सीजन के दौरान रात 11:30 बजे तक लिफ्ट को कार्यशील रखने के निर्देश

शिमला/शैल। अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन राम सुभग सिंह ने राज्य में ग्रीष्म पर्यटन सीजन की व्यवस्था की समीक्षा के लिए

संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। शिमला होटल एसोसिएशन के सदस्यों ने भी इस बैठक में भाग लिया।

राम सुभग सिंह ने कहा कि इस वर्ष पानी की कोई कमी नहीं है इसलिए पिछले वर्ष की तरह शिमला में इस बार पानी की समस्या की कोई सम्भावना नहीं है। इसके अलावा शिमला में पानी की आपूर्ति के लिए 10 एमएलडी पानी चाबा से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने सम्बन्धित प्राधिकारियों को गर्मी के मौसम में उचित और नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

शिमला शहर में यातायात नियंत्रण के नियमों पर जोर देते हुए राम सुभग सिंह ने पुलिस विभाग और जिला प्रशासन से कहा कि शहर और नजदीकी पर्यटन स्थलों में यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाएं ताकि पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण और राज्य लोक निर्माण विभाग को सड़क के किनारों से निर्माण सामग्री हटाने के निर्देश दिए।

उन्होंने गर्मी के मौसम के दौरान शिमला में भारी यातायात की समस्या को ध्यान में रखते हुए मैहली व भेखलटी बाईपास को सक्रिय बनाने और पार्किंग स्थलों की जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुफरी और नालदेहरा जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को उचित दिशा-निर्देश देने के लिए बोर्ड और डिजिटल मॉनिटर स्थापित करने के भी निर्देश दिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन विकास निगम को पर्यटन सीजन के दौरान रात 11:30 बजे तक लिफ्ट को कार्यशील रखने के भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त बैठक में पर्यटकों के मनोरंजन के लिए मॉल पर चयनित स्थलों पर सांस्कृतिक संध्याएं, लोक संगीत व बैण्ड शो आदि आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। होटल व्यवसायियों ने गर्मियों के पर्यटन सीजन के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अपने सुझाव भी दिए।

प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने किया 32641 में से 21979 मामलों कानिपटारा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना के बाद 31 मार्च, 2019 तक ट्रिब्यूनल के समक्ष कुल 32641 मूल आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 21979 का अन्तिम निपटारा किया जा चुका है।

ट्रिब्यूनल के एक प्रवक्ता ने कहा कि उपरोक्त आवेदनों के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान 794 अवमानना याचिकाओं, 34 समीक्षा याचिकाओं, 118 निष्पादन याचिकाएं और 8965 विविध याचिकाओं का निपटारा भी किया गया।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से 6481 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से 1670 मामलों का निपटारा किया गया है।

उन्होंने कहा कि 18 अप्रैल, 2017 तथा 14 अप्रैल, 2018 को दो सदस्यों (प्रशासन) द्वारा कार्यालय छोड़ने के बाद हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में वर्तमान में अध्यक्ष बैंच और एक न्यायिक सदस्य बैंच कार्य कर रहे हैं।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक- जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार- ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

व्यासायिक इकाईयों को राज्य और राज्य के बाहर से किराए पर वाहन लेने की छूट

सोलन/शैल। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र परवाणू में व्यावसायिक वाहनों को किराए पर लेने संबंधित आदेश पारित किए हैं।

आदेश के मुताबिक परवाणू में औद्योगिक विभाग, औद्योगिक इकाईयों, व्यासायिक इकाईयों, बिजनेस इकाईयों तथा अन्य को राज्य में और राज्य के बाहर से ट्रक, लॉरी, पिकअप इत्यादि किराए पर लेने की छूट होगी। व्यावसायिक माल की ढुलाई के दौरान यदि कोई भी संगठन, यूनियन, सोसायटी या कोई अन्य सुचारू यातायात को बाधित करता हुआ पाया गया तो दोषी के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, संगठन, यूनियन, तथा सोसायटी किसी भी ट्रक, लॉरी तथा पिकअप मालिक, ऑप्रेटर अथवा ड्राईवर से किसी भी प्रकार की अनाधिकृत कर वसूली या शुल्क नहीं लेगा।

जिला दंडाधिकारी ने कहा कि यदि किसी भी संगठन द्वारा इस आदेश की उल्लंघना की गई तो उसके विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त परवाणू में सरकार द्वारा गठित आंतरिक प्रशासनिक निकाय ट्रक, लॉरी, पिकअप संचालकों के मध्य समान कार्य वितरण भी सुनिश्चित करेगी।

पंडित सुखराम अपने पूरे परिवार को सत्ता सुख दिलाना चाहते हैं:जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में ''आया राम गया राम'' वाली जैसी राजनीति उचित नहीं है। ऐसे प्रचलन से राजनीतिज्ञों के बारे में समाज में बुरा संदेश जाता है। मुख्यमंत्री मण्डी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र के देवधार में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह भी मानते हैं कि वर्तमान प्रदेश भाजपा सरकार ईमानदारी से लोगों की सेवा कर रही है। लेकिन पंडित सुखराम इस बात को नकारते हुए अलग राह पर चल रहे हैं क्योंकि पंडित सुखराम अपने पूरे परिवार को सत्ता सुख दिलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा को भाजपा ने पूरा सम्मान दिया है।अनिल शर्मा को टिकट देने के साथ-साथ उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया और अब पंडित सुखराम अपने पोते के लिए भी टिकट मांग रहे थे जो संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि भाजपा एक ही परिवार के उत्थान के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के हित को मद्देनजर रखकर प्रत्येक कार्य करती है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि केंद्र में फिर से मजबूत नेतृत्व वाली सरकार बनाई जाएगी। देश को केवल नरेंद्र मोदी ने ही मजबूत नेतृत्व दिया है। मोदी सरकार ने जनकल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उन योजनाओं से हिमाचल के भी लाखों परिवार लाभान्वित हुए हैं।

उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने नई ऊंचाईयों को पार किया है। इसके मद्देनजर देश को ऐसे ही नेतृत्व की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताते हुए कहा कि पूरे प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों से इस बार भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश के कुछ कांग्रेस नेता प्रदेश में हुए विकास पर सवाल कर रहे हैं जबकि प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश में विगत एक वर्ष में हुए विकास की प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इस सवाल का जवाब प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की जनता देगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भी हिमाचल के विकास के लिए साढे 10 हजार से अधिक की राशि दी है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि सिराज की जनता ने उनका प्रत्येक कदम पर साथ दिया है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि मंडी संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा को सिराज से लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक बढ़त मिलेगी। उन्होंने कहा कि रामस्वरूप शर्मा ने बतौर सांसद मंडी संसदीय क्षेत्र का हरसंभव विकास किया है। सांसद निधि से क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कोई भी कमी नहीं की है।

सिराज के बगस्याड़ में 12 और देवधार में 41 परिवारों ने भाजपा सरकार की नीतियों एवं विकास कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामा। मुख्यमंत्री ने भाजपा में शामिल होने वाले सदस्यों का स्वागत-अभिनंदन किया। इस अवसर पर मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा भी उपस्थित रहे।

मनाली- लेह राजमार्ग पर बर्फ साफ करने का अभियान शुरू

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने लोक सभा चुनाव के लिए श्रमशक्ति और उपकरण पहुंचाने के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) से 8.8 किलोमीटर लंबी रोहतांग सुरंग के अल्पावधि उपयोग की अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है।

वहीं, बीआरओ मनाली- लेह राजमार्ग पर बर्फ साफ करने का अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है और यह आश्वासन दिया है कि अप्रैल मध्य तक 13050 ऊँचे रोहतांग पास को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा।

इस सुरंग के अल्पावधि प्रयोग से विशेष रूप से मतदान कर्मियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होगी। सीमा सड़क संगठन और लोक निर्माण विभाग को एक आपसी समन्वय से काम करने को कहा गया है।

उधर, मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल ने आयोजित एक बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की बैठक करते हुए ग्रामीण सड़कों और पोलिंग बूथ को जोड़ने वाले रास्तों के रखरखाव के निर्देश दिए। उन्होंने भूस्खलन की संभावना को देखते हुए सड़कों को बहाल करने के लिए श्रमशक्ति और मशीनरी तैयार रखने के निर्देश भी दिए।

बैठक के दौरान निर्वाचन अधिकारियों की सुरक्षा के लिए एयर एम्बुलेंस का प्रावधान करने पर चर्चा हुई ताकि किसी आपात स्थिति में उन्हें बाहर निकालकर तुरंत चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सके। सामान्य प्रशासनिक विभाग को ऐसी स्थिति में चिकित्सा सुविधा और बचाव दल से युक्त हैलीकॉप्टर उपलब्ध करवाने का कार्य सौंपा गया है।

इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब, नगदी, अवैध हथियार और नशीले पदार्थों पर निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं। पुलिस विभाग को संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं जबकि सीमावर्ती राज्यों के आबकारी आयुक्तों को आपसी समन्वय रखने पर बल दिया गया।

शिक्षा विभाग को चुनाव के दौरान अतिरिक्त श्रमशक्ति उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं क्योंकि अधिकांश मतदान केन्द्र शिक्षण संस्थानों में स्थापित होंगे।

कांग्रेस की देशद्रोही मानसिकता का करारा जवाब देगी भारतीय नारी :सुरेश कश्यप

शिमला/शैल। शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कहा है कि महिलाओं का समाज के उत्थान में विशेष योगदान रहता है। कश्यप सोलन में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नारी सृष्टि के आरम्भ से ही अनन्त गुणों से परिपूर्ण रही है। कश्यप ने कहा कि नारी दया, करूणा और प्रेम की पवित्र मूर्ति है लेकिन समय पड़ने पर वह प्रचण्ड चण्डी का रूप भी धारण कर लेती है। उन्होंने कहा कि जो नारी का अपमान करता है वो माँ का अपमान होता है। माँ का अपमान भारत माता का अपमान माना जाता है। कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने राजद्रोह कानून को खत्म करने की बात कहकर भारत माता का तिरस्कार किया है।

उन्होंने कहा कि भारत की नारी इस अपमान को कभी सहन नहीं करेगी और लोकसभा चुनावों में भारतीय नारी प्रचण्ड रूप धारण कर कांग्रेस की देशद्रोही मानसिकता का करारा जवाब देते हुए नरेन्द्र मोदी को देश की सेवा करने का फिर से मौका देगी। कश्यप ने प्रदेश की नारी शक्ति से आर्शीवाद मांगते हुए देश की सेवा करने का मौका देने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि देश को मजबूत सरकार व मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। गत पाँच वर्षो में मोदी सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि देश उनके हाथों में सुरक्षित है।

सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल से जनता बेहद खुश है। उन्होंने कहा कि यही वज़ह है कि देशभर में मुख्यमंत्रीयों के आकलन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को देशभर में दूसरे स्थान पर आंका गया है। कश्यप ने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र की जनता उन्हें सेवा का मौका देगी जिस पर वे खरा उतरने का भरसक प्रयास करेगें और पुरे संसदीय क्षेत्र में एक समान विकास कर नई ईबारत लिखेंगें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से देश की कमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों में सौंपने का मन बना लिया है।

शिमला में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान जारी

शिमला/शैल। भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के तहत निर्वाचक प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता बढ़ाने, नए मतदाता बनाने व अधिक से अधिक मतदान के उद्देश्य से शिमला लोक सभा क्षेत्र के कसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र(खंड) में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस सप्ताह राजकीय उच्च पाठशाला नव बहार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, ब्योलिया, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, रझाणा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, मैहली, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटी, राजकीय महाविद्यालय कोटी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चिखर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पीरन में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (स्वीप) के नोडल अधिकारी दिलीप वर्मा और तारा चन्द ठाकुर ने अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहां का लोकतन्त्र बहुत समृद्ध व पारदर्शी है, वोट देना न सिर्फ व्यक्ति का कर्तव्य है बल्कि अधिकार भी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र वास्तव में अधिकाधिक मतदान से ही मजबूत और समृद्ध होता है। इस अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटी, में मानव श्रृंखला बनाकर भी लोगों को मतदान करने बारे जागरूक किया गया। राजकीय महाविद्यालय कोटी में भाषण प्रतियोगिता करवाई गई। इस दौरान छात्रों के माध्यम से पहली जनवरी, 2019 को 18 वर्ष की आयु पूरे कर चुके युवक व युवतियो को वोट बनवाने के लिए जागरूक किया गया। नोडल अधिकारी ने बताया कि इस बार लोकसभा में मतदान के लिए VVPAT मशीन का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें मतदाता सात सेकिण्ड तक यह देख सकता है कि उसने किसे मत दिया है। इस अवसर पर विद्यार्थियों से भी प्रतिज्ञा करवाई गई कि वे सभी बर्जुर्गों, युवाओं और महिलाओं को चुनाव में बढ़-चढ़ भाग लेने के लिय प्रेरित करेंगें। इस अवसर पर सम्बन्धित पाठशालाओं के प्रधानाचार्यो के अतिरिक्त मतदान कोष्ठ स्तर अधिकारी के पर्यवेक्षक ओमप्रकाश, बूथ स्तर के अधिकारी, वह विद्यालय में निर्वाचन साक्षरता क्लब (इलेक्ट्रोरल लिटरेसी क्लब) के नोडल अधिकारी, प्राध्यापक, अध्यापक भी उपस्थित थे।

मोदी शासन काल में मिली हजारों करोड़ रूपये की मदद बंदरबांट में लुटा दी वीरभद्र सरकार ने:अजय राणा

शिमला/शैल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने कहा है कि जब-जब केन्द्र में कांग्रेस सरकार आयी तब-तब हिमाचल के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है। जिससे यह पहाड़ी प्रदेश विकास की दौड़ मे पिछड़ता चला गया। मण्डी से जारी प्रैस विज्ञप्ति में उन्होने प्रदेश में पूर्व मे रही वीरभद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासन काल मे हिमाचल प्रदेश को हजारों करोड़ रूपये की मदद की गयी थी लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस राशि को बंदरबांट में लुटा दिया था और सरकार के पांच वर्ष मात्र अपने निजी मुक्कदमों मे व्यस्त रह कर व्यर्थ किये। राणा ने कहा कि हिमाचल का सही मायने में विकास हुआ है तो भाजपा सरकार में। राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद ही विकास में गति पकड़ी।

भाजपा नेता ने कहा कि डबल इंजन को सरकार द्वारा प्रदेश में विकास की गति से घबराये कांग्रेस नेता तब कहा थे जब पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश को दिया गया विशेष औद्योगिक राज्य का पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा प्रदेश के ही दो मंत्रियों वीरभद्र सिंह और आनंद शर्मा के रहते हुए केन्द्र की कांग्रेसनीत यू.पी.ए. सरकार ने प्रदेश से छीन लिया था?

भाजपा नेता ने कहा कि 13वें वित्तायोग के दौरान पूरे देश को 150 प्रतिशत वृद्धि मिली तो हिमाचल के कांग्रेसी नेताओं ने प्रदेश में भाजपा सरकार के प्रति दुराग्रहपूर्ण रवैया अपनाते हुए यह वृद्धि मात्र 50 प्रतिशत देकर प्रदेश के विकास को ग्रहण लगाने की कोशिश की थी। इसके विपरीत वर्ष 2014 में मोदी सरकार ने प्रदेश के साथ हुए सारे भेदभाव को खत्म करके 14वें वित्तायोग में इस आर्थिक सहायता को 235 प्रतिशत कर दिया था।

हिमाचल प्रदेश के साथ विशेष लगाव के चलते नरेन्द्र मोदी ने न केवल प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की बहाली की बल्कि केन्द्रीय करों में प्रदेश की हिस्सेदारी को बढ़ा कर 42 प्रतिशत कर दिया। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने मात्र करीब सवा साल ही हुआ है और इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 10,500 करोड़ रू. की अतिरिक्त केन्द्रीय आर्थिक सहायता मिली है। यह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रधानमंत्री व केन्द्रीय मंत्रियों के साथ अच्छे समबन्धों से सम्भव हो पाया है।

भाजपा नेता ने कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल में विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए एम्स, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 69 राष्ट्रीय उच्च मार्ग, रेलवे का विस्तारीकरण, हाईड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज व कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया है जिससे प्रदेश के विकास में अभूतपूर्व तेजी आई है।

मुर्ख व्यक्ति उपकार करने वाले का भी अपकार करता है। इसके विपरीत जो इसके विरुद्ध आचरण करता है, वह विद्वान कहलाता है............. ''चाणक्य''

सम्पादकीय

कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अविश्वास क्यों

लोकसभा चुनावों के लिये कांग्रेस ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र के पहले पन्ने पर कहा गया है ***''हम निभायेंगे''*** और इसी के साथ पार्टी अध्यक्ष राहूल गांधी की घोषणा है कि **''मेरा किया हुआ वादा मैने कभी नही तोड़ा''** इसी वाक्य के साथ अध्यक्ष का पूरा वक्तव्य और अन्त मे पार्टी का संकल्प भी इस घोषणा पत्र में दर्ज है। 55 पन्नों के इस दस्तावेज में 52 बिन्दुओं पर विस्तृत कार्य योजना का प्रारूप दिया गया है। यह दस्तावेज तैयार करने के लिये 121 परामर्श कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें 60 कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में और 12 से अधिक अप्रवासी भारतीयों के प्रतिनिधियों के साथ तथा 53 कार्यक्रम किसानों, उद्यमियों, अर्थशास्त्रीयों, छात्रों, शिक्षकों, महिला समूहों, डाक्टरों और अन्य विषय विषेशज्ञों के साथ रहे हैं यह दावा भी इसमें किया गया है। इस विस्तृत ब्योरे से यह झलकता है कि इसे तैयार करने के लिये सही में एक व्यापक अध्ययन और विचार विमर्श किया गया है। इसमें जो वायदे किये गये हैं उन्हे कितने समय में और कैसे पूरा किया जायेगा इसके लिये पूरी समयबद्धता दी गयी है। वायदों के अतिरिक्त इस घोषणा पत्र में एक विशेष बिन्दु यह है कि इन वायदों के पूरा होने की प्रमाणिकता सरकारी आंकड़े नहीं बल्कि सोशल ऑडिट की रिपोर्ट रहेगी।

कांग्रेस के घोषणा पत्र में बेरोज़गारी, गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर महत्वपूर्ण वायदे किये गये हैं। सबसे गरीब परिवारों को 72 हजार कैसे मिलेंगे और सरकार तथा उसके विभिन्न अदारों में खाली 22 लाख पदों को भरने के लिये पूरी समयबद्धत्ता दी गयी है। कृषि के लिये पहली बार अलग से बजट लाने का वायदा किया गया है। किसानों का ऋण माफी के स्थान पर ऋण मुक्ति की ओर ले जाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। महिलाओं को आरक्षण का वायदा लोकसभा के पहले ही सत्र में पूरा करने की बात की गयी है। घोषणा पत्र के वायदों को अलग से पाठकों के सामने रखा जा रहा है ताकि पाठक इस बारे में स्वयं अपनी एक राय बना सकें।

इस घोषणा पत्र पर भाजपा और उसके समर्थकों की प्रतिक्रियाएं बहुत नकारात्मक आ रही है। इन वायदों को अमली शक्ल दे पाने पर सन्देह व्यक्त किया जा रहा है। यह सवाल उठाया जा रहा है कि इन वायदों को पूरा करने के लिये संसाधन कंहा से आयेंगे। भाजपा और उसके समर्थकों की आशंकाएं हो सकता है सही हों। क्योंकि वायदे पूरे होने का पता तो भविष्य में ही लगेगा लेकिन अभी इन वायदों पर अविश्वास का भी कोई कारण नही है क्योंकि अभी जहां मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें बनी हैं वहां पर चुनावों से पहले सरकार बनने पर सबसे पहले किसानों के कर्ज माफ करने का वायदा किया गया था। यहां पर सरकारें बनने के बाद यह वायदा मन्त्रीमण्डलों की पहली ही बैठक में पूरा कर दिया गया बल्कि कर्नाटक और पंजाब में भी इसे लागू किया गया है। इस आधार पर आज कांग्रेस के वायदों पर अविश्वास करने का कोई कारण नही बनता है। आज जो देश की स्थिति है उसमें बेरोज़गारी और किसानों की आत्म हत्याएं सबसे बड़े मुद्दे बनकर सामने खड़े हैं।

इसलिये वायदों के इस आईने में आज सबसे पहले मोदी की भाजपा सरकार को आकलन करने की आवश्वकता है। इसके लिये 2014 का भाजपा का दस पन्नों का घोषणा पत्र सामने रखना पड़ता है। भाजपा का यह घोषणा पत्र **''एक भारत-श्रेष्ठ भारत''** की घोषणा से शुरू होता है और इसका पहला ही बिन्दु **''Vibrant and Participatory Democaracy''** इसी बिन्दु पर यह सवाल उठता है कि क्या सारे वर्गो की भागीदारी सुनिश्चित हो पायी है। क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि तब भाजपा ने एक भी मुस्लिम को चुनावों मे अपना उम्मीदवार नही बनाया था। उस समय भाजपा और मुस्लिम कौन किस पर कितना विश्वास करता था इस प्रश्न को यदि छोड़ भी दिया जाये तो आज कितनों को उम्मीदवार बनाया है यह सवाल तो उठेगा ही। क्या देश की 22 करोड़ की आबादी और सत्तारूढ़ दल में इन पांच वर्षो में भी आपसी विश्वास कायम नही हो सका है। क्या यह विश्वास का संकट लोकतान्त्रिक भागीदारी पर एक सवालिया निशान नही बन जाता है। भाजपा के इस घोषणा पत्र के दूसरे पन्ने पर रोज़गार को लेकर सिर्फ यह कहा गया है।

Develop high impact domains like labour intensive Manufacturing and Tourism.

Transform Employment Exchanges into /career Centres.

क्या यह रोज़गार को लेकर सीधा वायदा माना जा सकता है। इसमें आगे चलकर सुविधानुसार दो करोड़ नौकरियां देना जोड़ दिया गया। लेकिन आज हकीकत यह है कि केन्द्र सरकार में ही 22 लाख पद रिक्त चल रहे हैं। महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने वाली उज्जवला योजना का सच भाजपा प्रत्याशी संबित पात्रा के एक महिला की रसोई में चुल्हे पर खाना पकाने और खाने की तस्वीरें न्यूज चैनल पर आने से सामने आ गया है। इस महिला की रसोई में उज्जवला का उजाला नही था। इससे सरकार की योजनाएं धरती पर कितनी हैं और सरकारी आंकड़ो में कितनी है यह सामने आ जाता है। आज मोदी सरकार अपनी फाईलों में दर्ज आंकड़ो के गणित पर चल रही है और यह आंकड़े ज़मीनी सच्चाई से कोसों दूर हैं। यह इसलिये है क्योंकि सरकार सोशल ऑडिट में विश्वास नही रखती है। इसलिये उसे कांग्रेस के वायदों पर विश्वास नही हो रहा है। आज यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि देश के बुद्धिजीवी बड़ी संख्या में एक सरकार को **''वोट न करने की''** अपील कर रहे हैं। आज कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आने के बाद यह चुनाव हिन्दुत्व और राष्ट्रवाद की अवधारणाओं से बाहर निकल कर जनसमस्याओं पर केन्द्रित होने जा रहा है और शायद यही परेशानी का कारण बन रहा है।

कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र

भाइयों और बहनों, 2019 का आम चुनाव देश के सामने एक बड़ा विकल्प प्रस्तुत कर रहा है। क्या भारत एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश होगा? क्या भारत के लोग भय से मुक्त होगें? अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने, काम करने, खाने-पीने, स्वेच्छा से जीवनसाथी चुनने के लिए स्वतंत्र रहेंगे? क्या गरीबी से मुक्ति पाने के लिए अपनी आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं, को परिपूर्ण करने के प्रयास के लिए स्वतंत्र होंगे? या

क्या भारत उस विभाजनकारी, विध्वंसकारी विचारधारा से संचालित होगा जो लोगों के अधिकारों को, संस्थाओं को, विविधतापूर्ण, सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्ववादी स्वस्थ मतभिन्नता के विचार को, जोकि भारत जैसे बहु-सांस्कृतिक समाज और देश की आत्मा है, रौंदकर छिन्न-भिन्न कर देगा?

क्या भारत विकास की लहरों के साथ, अपने सभी नागरिकों, को ऊपर उठाकर, उन्हें गरीबी के कुचक्र से मुक्ति दिला पायेगा या भारत, धन-संपत्ति और शक्ति की असमानताओं से पहचाना जाने वाला राष्ट्र बनकर रह जायेगा?

पिछले 5 वर्ष, भारत तथा भारतीयता के लिए विनाशकारी रहे हैं। युवाओं का रोजगार छिन गया है। किसान उम्मीद खो चुके हैं, व्यापारियों का कारोबार छिन्न-भिन्न हो चुका है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों ने, अपना आत्मविश्वास खो दिया है, महिलाओं में सुरक्षा की भावना का ह्रास हुआ है, वंचित समुदायों ने अपने पारंपरिक अधिकार खो दिये हैं, संस्थाओं ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। इन सबसे इतर जो सबसे खतरनाक चीज हुई है वह यह है कि आम जनता के बीच प्रधानमंत्री और उनके मंत्रीमंडल के 'शब्दों' ने अपना विश्वास खो दिया है। उन्होंने हमें केवल आडंबर से परिपूर्ण किन्तु खोखले वायदे, असफल कार्यक्रम, झूठे आंकड़े, भय और नफरत का वातावरण दिया है।

गंभीर संकट के इस दौर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पिछले पांच वर्ष के दुःस्वप्न से मुक्ति का वादा करती है। इस घोषणा पत्र के द्वारा कांग्रेस, अपने आपको, आपके सम्मुख, एक मात्र राष्ट्रीय विकल्प के रूप में प्रस्तुत करती है, एक विकल्प जो सत्य, स्वतंत्रता, गरिमा, आत्मसम्मान, सौहार्द और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अटूट है। हम भारत को मजबूत और एकजुट बनाने, और न्यायपूर्ण व समृद्ध समाज बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

हमारा घोषणा पत्र ''जनता की आवाज को सुनना'' जैसे उच्च विचार एवं दर्शन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह किसी एक व्यक्ति के ''मन की बात'' नहीं है बल्कि लाखों-करोड़ों देशवासियों की सामूहिक आवाज है।

हमने जनता की अकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को शामिल करने के लिए सभी आधुनिक साधन (वेबसाइट, व्हाटसएप, ईमेल, ऑनलाइन याचिकाएं) तथा परंपरागत तरीके, नागरिकों, हितधारकों, विशेषज्ञों और जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ व्यापक चर्चा की तथा उस निष्कर्ष को इस घोषणा पत्र में शामिल किया है।

अक्टूबर 2018 से फरवरी 2019 के बीच आप में से कई लोग, देश की कम से कम 16 भाषाओं तथा आपके आस-पास आसानी से उपलब्ध साधनों के माध्यम से, कांग्रेस के साथ बातचीत में शामिल हुए हैं। हमारी घोषणा पत्र समिति ने आम नागरिकों के साथ 121, तथा किसानों, उद्यमियों, अर्थशास्त्रियों, छात्रों, शिक्षकों, महिला समूहों, डाक्टर, वकील तथा अन्य क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों, विद्वानों के साथ 53 परामर्श कार्यक्रम आयोजित किये। हमने 24 राज्यों और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों के 60 से अधिक स्थानों में परामर्श आयोजित किये। हमने 12 से अधिक देशों के अप्रवासी भारतीयों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात और चर्चा की।

मैं व्यक्तिगत रूप से, देश के कोने-कोने में जाकर लोगों से मिलता हूं और उनकी बातों विचारों को सुनता हूं, परिणामस्वरुप, कांग्रेस के घोषणा पत्र में अंकित प्रत्येक शब्द, आपकी आवाज और करोड़ो भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। यह भारत के बेहतर भविष्य के लिए एक कार्ययोजना है। इस घोषणापत्र को बनाने में आपकी प्रेरणा, आपकी आकांक्षा का योगदान है। यह घोषणापत्र एक जीवित दस्तावेज है। इस घोषणापत्र को अब आपके समर्थन और आपके मूल्यवान वोट की जरूरत है।

हम अपने घोषणा पत्र के क्रिन्यान्वयन/कार्यान्वयन की स्थिति पर, प्रत्येक वर्ष, सार्वजनिक रूप से देश के लोगों के सम्मुख अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। हम एक स्वतंत्र सोशल ऑडिट ग्रुप बनायेंगे, जो इस बात का आंकलन करेगा कि हमने अपने वायदे किस हद तक और कैसे पूरे किये हैं। **यह हमारी प्रतिबद्धता है, कांग्रेस जो वायदा करती है, उसे निभाती है।**

राहुल गांधी
अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

फैसले की घड़ी

2019 के आम चुनाव महात्मा गाँधी जी की 150वीं जयन्ती वर्ष के दौरान हो रहे हैं। यह वक्त हमें याद दिला रहा है कि यह चुनाव दो विपरीत विचारधाराओं के बीच का चुनाव भी है। जहाँ एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खड़ी है, जिसने देश में एक मजबूत, समृद्ध और सौहार्दपूर्ण आधुनिक भारत का निर्माण करते हुए, हर भारतवासी की आंख से आंसू पोंछने का सफल प्रयास किया है। वहीं दूसरी तरफ, गोडसे की विचारधारा है, जो भारत के उस विचार को नष्ट करने की कोशिश कर रही है जिसको प्रतिस्थापित करने के लिए महात्मा गाँधी ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया था।

पिछले पांच वर्ष में, भाजपा सरकार के मोदी म डल के अन्तर्गत इस देश को भारी सामाजिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। भाजपा के मोदी म डल ने, हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है, किसानों को बर्बाद कर दिया है, छोटे और मध्यम व्यवसायों को नष्ट कर दिया, जिसके कारण बेरोजगारी अपने चरम पर है और इन सबसे ऊपर इस मॉडल ने समाज में वैमनस्यता, नफरत और भय का माहौल पैदा कर दिया है। यह ऐसा म डल है जिसने अधिकांश भारतीयों से, उनकी गरिमा, विश्वास और आवाज छीन ली है। यह ऐसा मॉडल है जिसकी भारत को जरूरत नहीं है। यह ऐसा मॉडल है जिसे सभी भारतीयों को अस्वीकार करना चाहिए।

कांग्रेस का मॉडल भाजपा के मॉडल से बिल्कुल अलग है। कांग्रेस ने हमेशा से सुधारात्मक विकास, समावेशी वृद्धि और उत्तरदायी शासन दिया है जिसने भारतीय गणतंत्र को मजबूत किया है।

2019 का चुनाव भारत के भविष्य के साथ-साथ हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। आज हमारे सामने विकल्प बिल्कुल स्पष्ट हैं-

हम क्या चुनते हैं- स्वतंत्रता या भय?
हम क्या चुनते हैं-सद्भाव या घृणा?
हम क्या चुनते हैं-समावेश या बहिष्करण?
हम क्या चुनते हैं- भाईचारा या भेदभाव?
हम क्या चुनते हैं- गरिमा या उत्पीड़न?
हम क्या चुनते हैं- सबका विकास या चंद लोगों की दौलत?
हम क्या चुनते हैं- परिणाम या जुमला?
हम क्या चुनते हैं- न्याय या अन्याय?

हमारे सहयोगी और अन्य प्रगतिशील राजनैतिक दल, चुनाव के इस महत्वपूर्ण क्षण के महत्व को समझते हैं, इसलिए हम सब भाजपा नेतृत्व वाले गठबन्धन को हराने और राष्ट्र को पुनः सामाजिक सौहार्द और विकास की पटरी पर लाने के लिये एकजुट हुए हैं।

इस घोषणा पत्र के माध्यम से हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एकमात्र राष्ट्रीय विकल्प के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

कांग्रेस पुनः क्यों?

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर हमारे द्वारा किये गये विकास कार्यो के आंकड़े स्वयं बताते हैं। हम पहले भी देश के लोगों को समृद्धि और विकास के पथ पर लेकर चले हैं, और हम पुनः देश को प्रगतिपथ पर ले जाने के लिए संकल्पबद्ध हैं।

अगले कुछ दिनों में हमारे सामने, एक चुनावी चुनौती है जो आने वाले कई दशकों के लिए भारत का भविष्य तय करेगी। भारत ने पहले भी इस तरह की गंभीर

शेष पृष्ठ 5 पर.........

भय, भूख और गरीबी के खिलाफ एक बड़ा संकल्प

चुनौतियों का सामना किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऐसी अनेक चुनौतियों का आगे बढ़कर मुकाबला किया है और हर बार भारत ने शानदार जीत हासिल की है।

कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में देश का नेतृत्व किया है और सफलता प्राप्त की है। हमने संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की है और उसे अपने खून पसीने से सींचा है। हमने देश को एक दूरदर्शी संविधान निर्माण करने और अपनाने की प्रक्रिया का नेतृत्व किया है, एक संविधान जिसमें सामाजिक- आर्थिक-सहभागिता और सौहार्द की भावना निहित है। हमनें देश के लोकतंत्र की रक्षा और पहरेदारी करने वाली संस्थाओं की स्थापना की है, और हमने देश को एक मजबूत नैतिक आधार प्रदान किया है जो हर बार, हर प्रकार की चुनौती की कसौटी पर खरा उतरा है। इसके विपरीत भाजपा सरकार के कार्यकाल में स्वतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को अभूतपूर्व नुकसान हुआ है।

कांग्रेस देश के संविधान और संस्थानों पर आम जनता के विश्वास की पुर्नस्थापना करेगी। हमने ऐसा पहले भी किया है, और हम इसे पुन: करेंगे।

कांग्रेस ने समृद्धता और उत्पादकता पर आधारित, आधुनिक भारत का निर्माण किया है। हमने आई.आई.टी., आई.आई.एम., अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान (AIIMS) सी.एस.आई.आर. संस्थान और प्रयोगशालायें, शैक्षणिक और वैज्ञानिक शोध संस्थाऐं स्थापित की हैं, जिन्होनें भारतीयों की बुद्धिमता और प्रतिभा को नई चमक और ऊंचाई दी है। हरितक्रांति और स्वेतक्रांति, जिसने ग्रामीण भारत के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव किये हैं, को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हमने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थापित किये हैं, जिन्होंने तकनीकि और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने भारत को परमाणु शक्ति और अंतरिक्ष शक्ति संपन्न देश बनाया है, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार क्रांति का नेतृत्व किया है, और भारत को सूचना प्रौद्योगिकी के शीर्ष पर पहुंचाया है।

दूसरी तरफ भाजपा सरकार की नीतियों के कारण, कृषि उपज की कीमत पिछले 10 साल में सबसे कम है, उद्यमों द्वारा ऋण दर पिछले 20 साल में, सबसे कम है, और बेरोजगारी पिछले 45 साल में सबसे अधिक।

निर्यात और निवेश, ऐतिहासिक तौर पर अपने निम्न स्तर पर है, परियोजनाएं बड़े पैमाने पर रूकी पड़ी हैं, और कारखानों के बन्द होने से विनिर्माण क्षेत्र में भारी रूकावट आई है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया पूरी तरह असफल हो गये हैं। पेट्रोल- डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, उपभोक्ताओं में निराशा का भाव है जिसके कारण सरकार पूरी तरह से जनता का विश्वास खो चुकी है। किसान हर प्रकार से नाउम्मीद हो चुका है, और अत्यधिक तनाव में है। कुछ वर्ष पूर्व का एक आकांक्षापूर्ण भारत आज एक हताश और निराश भारत बन चुका है। 21वीं सदी में, विश्वस्तर पर पुन: भारत को एक मजबूत और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, कांग्रेस एक बार फिर देश की व्यवस्था को पटरी पर लायेगी।

हमने पहले भी किया है और हम इसे फिर से करेंगे।

कांग्रेस ने उदारीकरण और आर्थिक सुधारों की शुरूआत की, यह कांग्रेस ही है जिसने सफल मध्यमवर्ग और नये उद्यमी वर्ग का निर्माण किया, यह कांग्रेस ही है जिसने गरीबजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा का व्यापक आधार तैयार करने के लिए अधिकार आधारित कानूनों को संसद से पारित करवाया। यह कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ही थी जिसने 2004 से 2014 के दौरान, 14 करोड़ भारतीयों को गरीबी के कुचक्र से बाहर निकाला।

दूसरी ओर मोदी जी ने, मनमाने ढ़ंग से अकेले ही, नोटबंदी करके देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। नोटबंदी से उत्पादन समाप्त हो गया, लाखों लोगों का रोजगार खत्म हो गया, उद्यमी-उद्यम और मजदूर कर्ज के जंजाल में फंस गये और सबसे बड़ी बात देश की जनता को 4 लाख करोड़ रूपये का नुकसान उठाना पड़ा। उसके पश्चात, बिना सोचे-समझे और जल्दबाजी में जी.एस.टी. को लागू कर दिया, जिसके नियम उटपटांग तरीके से लगभग हर रोज बदले गये हैं, अधिकारियों को दी गई मनमानी शक्तियों के कारण इंस्पेक्टर राज की वापसी हो गई है। कर आतंकवाद ने हमारे उद्यमियों की आत्मा को कुचल दिया है, इन सबके कारण किसानों, छोटे व्यापारियों, उद्यमियों, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् मजदूरों का जीवन और आजिविका पूरी तरह से नष्ट हो गई है, कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि पिछले पांच साल में जो ज्यादतियां या गलतीयां हुई हैं उन्हें सुधार कर एक ऐसी अर्थव्यवस्था को पुन: स्थापित किया जायेगा, जो 'सबके लिए हो', और जिसमें कोई भी व्यक्ति पीछे न छूट जाये।

हमने यह पहले भी किया है और हम इसे दुबारा भी करेंगे।

जय जवान, जय किसान के नारे से प्रेरित होकर, कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में देश ने पाकिस्तान पर 1965 के युद्ध में विजय प्राप्त की, 1971 के युद्ध में हमने पाकिस्तान को निर्णयात्मक रूप से पराजित करके बांग्लादेश को मुक्त करवाया। हमने देश के भीतर पनपते आपसी मतभेदों को समाप्त करते हुए, देश में सौहार्दपूर्ण माहौल, प्रेम और भाईचारा सुनिश्चित करने के साथ-साथ, अलगाववादी ताकतों को समाप्त किया। कांग्रेस नेता महात्मा गांधी, श्रीमती इन्दिरा गाँधी, श्री राजीव गाँधी और श्री बेअन्त सिंह ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने अमूल्य प्राणों का बलिदान दिया।

दूसरी तरफ भाजपा सरकार की नीतियां, एक व्यक्ति की सनक पर केन्द्रित रही हैं जिसमें विदेश मंत्रालय और विदेश नीति के जानकारों को पूरी तरह से दरकिनार किया गया है। यूपीए सरकार की वर्षों की मेहनत पर पानी फेरते हुए, भाजपा सरकार ने आन्तरिक समस्याओं को बढ़ाया है, जम्मू-कश्मीर के लोगों को देश की मुख्यधारा से अलग-थलग करते हुए, राज्य की सुरक्षा की स्थिति को बद् से बदतर कर दिया है। राष्ट्रवाद बढ़ रहा है और

सुरक्षा बलों की सफलता का राजनीतिकरण किया जा रहा है। मोदी सरकार के तमाम दावों और खुद की पीठ थपथपाने के शौक के बावजूद, सच यह है कि जी.डी.पी. के सापेक्ष रक्षा बजट के लिए पिछले 50 साल में सबसे कम धन आवंटित किया गया है। कांग्रेस सशस्त्र बलों के गौरव और सम्मान को पुन:स्थापित करेगी, सेना को राजनीति से दूर रखेगी, विदेशनीति की बागडोर पेशेवर विदेशनीति विशेषज्ञों के हाथ में सौंपते हुए, एक शक्तिशाली और दृढ़ भारत की नींव को पुन: मजबूती प्रदान की जायेगी।

हमने ऐसा पहले भी किया है, और हम इसे दुबारा भी करेंगे।

काम रोजगार और विकास

हमारा संकल्प है रोजगार, रोजगार और रोजगार .. कांग्रेस मौजूदा नौकरियों की सुरक्षा और नयी नौकरियों के सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता, मार्च 2020 तक केन्द्र सरकार और संस्थानों के सभी 4 लाख खाली पदों को भरेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी निकायों में करीब 10 लाख सेवा मित्रों के पदों का सृजन, 2500 से अधिक आबादी वाले गांवो के लिए दूसरी आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति, 1 करोड़ रोजगार पैदा करने के लिये जलाशय पुननिर्माण अभियान तथा बंजर भूमि पुनरुद्धार अभियान की शुरुआत, सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए लागू कानूनों (न्यूनतम् मजदूरी और कर नियम कानूनों को छोड़कर) में तीन साल की अवधि तक छूट, राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

(3) 1 अप्रैल, 2019 के अनुसार केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, न्यायपालिका और संसद के सभी 4 लाख रिक्त पदों को मार्च 2020 तक भर दिया जायेगा। कांग्रेस सरकार राज्यों को, शिक्षा-स्वास्थ्य और स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायत, नगर निकाय) के लिए धन आंवटित करने से पहले शर्त रखेगी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय निकायों के सभी रिक्त पदों (करीब 20 लाख) को प्राथमिकता से भरा जाये।

(11) हम छोटे और मध्यम स्तरीय उद्यमियों को नियामक राहत प्रदान करेंगे। 1 अप्रैल, 2019 या स्थापना की तारीख से 3 साल की अवधि तक, सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए लागू कानूनों (न्यूनतम मजदूरी और कर नियम कानूनों को छोड़कर) में छूट का वायदा करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब तक वे स्थिर/सक्षम नहीं हो जाते तब तक 'नियमों और कानूनों' से राहत और पूर्ण मुक्ति।

उद्योग

वर्ष 2030 तक गरीबी का नामोनिशान मिटाने के लिये कांग्रेस न्यूनतम आय योजना की शुरुआत करेगी, भारत की 20 प्रतिशत सबसे गरीब आबादी को हर साल बहत्तर हजार रुपये (72,000) दिये जायेंगे। कांग्रेस का लक्ष्य होगा कि कोई भी ''भारतीय परिवार पीछे न छूट जाये''।

दाम सबके हितार्थ अर्थव्यवस्था

हम सिर्फ कर्ज माफी करके ही अपने जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ेंगे, बल्कि उचित मूल्य, कृषि में कम लागत, बैंकों से ऋण सुविधा के द्वारा हम किसानों को ''कर्ज मुक्ति'' अर्थात Freedom From Indebtedness की तरफ ले जाने का वायदा करते हैं। कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व देते हुए हम अलग से किसान बजट प्रस्तुत करेंगे।

कर निर्धारण और कर प्रणाली

सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर एक समान, सीमित और आदर्श मापदण्ड के 2.0 नये व्यवसाय और रोजगार पैदा करते हुए विकास गति को बढ़ायेगा।

बैंकिंग और वित्तिय क्षेत्र

एम.एस.एम.ई. को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर नये संस्थानों (छोटे बैंकों) की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी, ताकि एम. एस.एम.ई. को ऋण उपलब्ध करवाया जा सके।

राष्ट्रीय सुरक्षा

एनडीए राज में रक्षा खर्च में आयी गिरावट की प्रवृत्ति को कांग्रेस पलटेगी और सशस्त्र बलों की सभी जरुरतों को पूरा करने के लिये इसमें बढ़ोत्तरी करेगी। हम पारदर्शी तरीके से सशस्त्र बलों के सभी आधुनिकीकरण कार्यक्रमों में तेजी लायेंगे। सशस्त्र बलों के लिये वन रैंक, वन पेंशन की विसंगतियों को दूर किया जायेगा, हम अपने अर्धसैनिक बलों और उनके परिवारों के लिये सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार करेंगे।

विदेश नीति

कांग्रेस दुनिया के किसी भी हिस्से में आतंकवाद का कड़ा विरोध करती है और आतंकवादी गुटों, आतंकवादी घटनाओं और सीमापार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने का वायदा करती है।

भूतपूर्व सैनिक

कांग्रेस शहीदों के परिवारों को मुआवजे की नीति तैयार करने और लागू करने का वचन देती है। इस नयी नीति में पूर्ण वेतन और भत्ते शामिल होंगे, बच्चों की शिक्षा के लिए धन तथा शहीद परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और उपयुक्त मौद्रिक मुआवजा शामिल होगा

नागरिकों एवं नागरिक संगठनों के साथ जुड़ाव

कांग्रेस नागरिक/सामाजिक संगठनों के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को जारी रखेगी, ताकि सरकार उनके अनुभव और ज्ञान से लाभान्वित होती रहे। कांग्रेस, राष्ट्रीय एकता परिषद् का पुनर्गठन करेगी

सुशासन स्वतन्त्र और जवाबदेह संस्थानों की मदद से

कांग्रेस महत्वपूर्ण संस्थानों को पुनर्जीवित करने का वादा करती है, जिनको पिछले 5 वर्षों के एनडीए राज में बुरी तरह से कमजोर किया गया है। कांग्रेस इन्हें संसद के प्रति जवाबदेह बनाते हुए इनकी गरिमा, अधिकार और स्वायत्तता को दोबारा बहाल करेगी। कांग्रेस प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया एक्ट-1978 में उल्लेखित स्वनियमन प्रणाली को मजबूत करने, पत्रकारों की स्वतंत्रता की रक्षा करने, संपादकीय स्वतंत्रता को बनाये रखेगी।

चुनाव सुधार

कांग्रेस सरकार सत्ताधारी दल के पक्ष में बनाये गये संदिग्ध और अपारदर्शी चुनाव (निर्वाचक) बॉड स्कीम को बन्द करेगी तथा 'राष्ट्रीय चुनाव कोष' स्थापित करने का वायदा करती है।

स्वाभिमान वंचितों का आत्मसम्मान

कांग्रेस 17 वीं, लोकसभा के पहले सत्र में और साथ ही राज्य सभा में, संविधान संशोधन विधेयक पास करवाकर, लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करेगी, हम केन्द्र सरकार के सेवा नियमों में संशोधन करके केन्द्रीय नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करेंगे।

धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यक

हम 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में और साथ ही राज्यसभा में, उन्मादी भीड़ द्वारा, आगजनी और हत्या जैसे नफरत भरे अपराधों की रोकथाम और दंडित करने के लिये नया कानून पारित करायेंगे। इस कानून में पीड़ितों को मुआवजा देने और लापरवाही के लिए पुलिस और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने के प्रावधान होंगे।

दिव्यांग जन

कांग्रेस सभी कानूनों की समीक्षा करेगी और उन्हें निरस्त करेगी, जो पुराने पड़ चुके हैं, अन्यायपूर्ण हैं या अनुचित रूप से लोगों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाते हैं।

स्वास्थ्य देखभाल

कांग्रेस सभी के लिये स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने का वादा करती है, जिसके तहत हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं, जिनमें मुफ्त डायग्नोसिस, बहिरंग (ओ.पी.डी.) रोगी देखभाल, दवाओं और सार्वजनिक अस्पतालों तथा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के जरिये भर्ती सुविधाओं के अधिकार की गारंटी मिलेगी। वर्ष 2023-24 तक स्वास्थ्य सुविधाओं पर कुल सरकारी खर्च को दोगुना बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत किया जायेगा।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

कांग्रेस भारत को ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई और पर्यावरण संरक्षण में सबसे आगे रखने के लिये एक कार्य एजेंडे का वादा करती है।

समझौता ब्लास्ट फैसलाः जवाब मांगते कुछ सवाल

शिमला/शैल। 18-19 फरवरी 2007 को दिल्ली -अटारी समझौता एक्सप्रेस ट्रेन मे पानीपत के निकट दिवाना रेलवे स्टेशन से गुजरते हुए जो ब्लास्ट हुआ था उसमें 67 लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी थी और एक ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस ब्लास्ट पर 19-2-2007 को करनाल पुलिस थाना मे ऍआईआर दर्ज हुई और इसकी जांच शुरू हुई। लेकिन बाद में 29-7-2010 को यह जांच एनआईए को सौंप दी गयी थी। इस मामले में आठ लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ था। यह आठ लोग थे नावा कुमार उर्फ स्वामी असीमानन्द, सुनील जोशी उर्फ गुरू जी, रामचन्द्र कलसांगरा ऊर्फ विष्णु पटेल, संदीप डांगे ऊर्फ टीचर, लोकेश शर्मा ऊर्फ कालू , कमल चौहान उर्फ विजय, अमित उर्फ अमित हाकला और राजेन्द्र चौधरी उर्फ लक्ष्मी दास महाराज। मामला दर्ज होने के बाद जांच शुरू हुई और सीआरपीसी धारा 173 के पहली रिपोर्ट 20-6-2011 को दायर हुई और अन्तिम अनुपूरक रिपोर्ट 12-6-2013 को दायर हुई। इस प्रकरण में अदालत में दोषीयों के खिलाफ आरोप 24-1-2014 को तय हुए। इसमें 20-3-2019 को फैसला आ गया है। इसमें जितने भी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ वह सब छूट गये हैं। किसी के भी खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नही हो पाया है।

इस मामले में जितने भी लोग कथित दोषी नामजद हुए थे वह सभी संयागेवश हिन्दु थे। संभवतः इसी कारण से तब सरकार के बड़े नौकरशाह और अब मोदी सरकार में मन्त्री आर के सिंह ने दक्षिणपंथी आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था जो चलते-चलते हिन्दु आतंकवाद तक पंहुच गया। आज जब इस ब्लास्ट में सभी लोग बरी हो गये हैं तब भाजपा और प्रधानमन्त्री ने इसे कांग्रेस के खिलाफ एक और हथियार बना लिया है। इस फैसले के बाद प्रधानमन्त्री ने सीधा कहा है कि हिन्दु कभी आतंकवादी हो ही नही सकता। उनके मुताबिक हिन्दु/ भगवा आतंकवाद का शब्द हिन्दुओं को बदनाम करने के लिये ही खोजा गया था। प्रधानमन्त्री के इस आरोप के बाद मीडिया के एक वर्ग के मुताबिक यह ''हिन्दु आतंकवाद'' अब इस चुनाव का बड़ा मुद्दा होने जा रहा है और प्रधानमन्त्री ने चुनाव की दियाा हिन्दुत्व की ओर मोड़ दी है। प्रधानमन्त्री और भाजपा का यह मानना सही हो सकता है। जो लोग इस ब्लास्ट प्रकरण में दोषी बनाये गये थे वह सब निर्दोष हो सकते हैं क्योंकि अदालत से वह बरी हो गये हैं।

लेकिन इस ब्लास्ट में 68 लोगों की मौत हुई है यह एक सच है। इन 68 लोगों की मौत के लिये एनआईए किसी को भी जिम्मेदार नही बना पायी है यह इस शीर्ष ऐजेन्सी की कार्यप्रणाली पर एक गंभीर सवाल है। इस प्रकरण का फैसला देने वाले जज ने कितने भारी मन से यह फैसला लिखा है। इस फैसले में ऐजेन्सी पर जो टिप्पणीयां की हैं वह अपने में बहुत कुछ ब्यान कर जाती हैं। जज की इन टिप्पणीयों के बाद अब यह भारत सरकार पर आ जाता है कि वह इस फैसले की अपील करके इसमें पुनः जांच करके मामले के असली दोषीयों को पकड़कर सजा तक पहुंचाये। 160 पन्नों के फैसले में जज की पीड़ा हर संवेदनशील व्यक्ति को हिला देती है। इसीलिये फैसले के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु पाठकों के सामने रखे जा रहे हैं ताकि वह अपने स्तर पर एक राय बना सके।

Samjauta Blasts Case :'Best Evidence Not Produced', Special Court Slams Shoddy NIA Investigation [Read Judgment] BY: MANU SEBASTIAN30 March 2019 4:33 PM Swami Aseemanand, acquitted in Samjauta blasts case "There are gaping holes in the prosecution evidence and an act of terrorism has remained unsolved", lamented the Court. "I have to conclude this judgment with deep pain and anguish as a dastardly act of violence remained unpunished for want of credible and admissible evidence", observed Jagdeep Singh, Special Judge of NIA Court Panchkula, while acquitting all accused in the case relating to bomb blasts in Samjauta Express in 2007 which led to the killing of 68 people. Former Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) member Naba Kumar Sarkar alias Aseemanand was a prime accused in the case along with other suspects — Lokesh Sharma, Kamal Chauhan and Rajender Chaudhary. All were acquitted in the verdict pronounced on March 20. The detailed 160 pages judgment was released two days back. Also Read - Supporting ISIS Ideology Does Not Amount To Waging War Against Asiatic Ally Of India : Kerala HC [Read Judgment] The blasts occurred on the intervening night of February 18/19, 2007, when Samjauta Express, which was bound to Lahore from Delhi, had passed a station near Panipat. As per the prosecution case, the blasts were a part of the concerted design of the accused, who had allegedly formed a hardline organization named 'Abhinav Bharat' to avenge jehadi terrorism. Swami Aseemanand was also alleged to be the mastermind of Mecca Masjid blasts and Ajmer dargah blasts, which occurred in 2007 few months after Samjauta blasts and was acquitted in both the cases by NIA Courts at Jaipur and Hyderabad in May 2017 and April 2018 respectively. Also Read - Cannot Implicate A Man As A Terrorist Merely Because He Has Seen Certain Videos And Speeches [Read Judgment] The case was mostly founded mostly upon the confessional statements of Swami Aseemanand. The NIA court found that the confessional statements, which were made before Judicial Magistrate under Section 164 CrPC, were later retracted by him. Since it is settled law that retracted confession cannot be used as a substantive piece of evidence, the Court had to search for corroborative evidence, which was not forthcoming. Even otherwise, the court held that the so-called confession of Aseemanand did not contain anything incriminating, as its nutshell was that Sunil Joshi (one of the accused who died during investigation) had told him that Joshi's men had carried out the blasts. The extra-judicial confessional statements made by Aseemanand - one to Ajay Chouhan & Shakti Singh in Haridwar while he was hiding from police under the name Swami Omkaranand and another to a prison mate- could not be proved as those witnesses turned hostile. No CCTVs, Call Records, Test Identification Parade : Strange omissions by NIA The NIA Court identified several lapses in the probe by National Investigation Agency(NIA), which prevented the coming of best evidence to the Court. At various places in the judgment, the Court used the expression "very strangely" to denote its surprise at the deficiency in investigation. It noted that no attempt was made to produce CCTV footage in Court, which could have established the prosecution case that the accused had planted the bombs in the train while it was stationed at Old Delhi Railway Station. It said : "...prosecution has failed to collect and bring on record any CCTV footage in order to lend credence to its story regarding involvement of present accused in the crime, especially when investigating office PW224 has admitted in his cross-examination that some CCTV cameras were installed at certain locations of old Delhi railway Station on 18.02.2007. This much admission on the part of investigating officers further lays bare chinks in the prosecution version, because the best evidence in the shape of CCTV footages has been withheld by the prosecution/NIA. Had the CCTV footages of old Delhi Railway Station been collected by the investigating agency and put to rigorous examination, then some vital leads might have been obtained by it in order to bring the real culprits to justice, but no such evidence has been brought on record". The entries in the dormitories of railway station, where the accused had allegedly stayed before planting the bombs, were the also not produced. "...the record of dormitories, where the passengers made the entry in their own handwriting, were not disposed of and again this court has not got an opportunity to look into a vital piece of evidence because the entries in the handwriting of passengers might have been got compared with the handwritings/signatures of suspects, thereby further providing a vital clue about the involvement of real culprits.", the Court observed regarding this omission. Also, the police had retrieved the bags in which bombs were planted and had traced that the bags were made in Indore. However, no Test Identification parade of the accused was carried out. "However, investigating agency, very strangely, has not even bothered to get conducted Test Identification Parade (TIP) of suspects/accused so as to arrive at concrete finding that any of the accused persons facing trial had in fact got the suitcase covers stitched at the said shop and procured for using the same in the occurrence and thus investigating agency has lost a very valuable piece of evidence by not conducting investigation properly in this regard. Had the investigating agency got conducted TIP during the course of investigation, the same might have given some vital clue about real culprits involved in the present crime. However, the same has not been done for the reasons best known to the investigation agency". The shoddiness of investigation is evident from the fact that it could not even prove the extra-judicial confession stated to have been made by Kamal Chauhan to media when he was produced before court for remand. Chauhan had allegedly planted the bombs in the train. This evidence was treated so casually that one of the CDs copied from the video camera got corrupted, making it incapable of being played in court. The other CD was not accompanied with the mandatory certificate under Section 65B of the Indian Evidence Act, which is necessary for admissibility of electronic evidence. The camera persons did not support prosecution case and expressed ignorance of any confessional statement being made by Kamal Chauhan. The Court also noted that one of the prosecution witnesses, Istkaar Ali, had deposed that 10 minutes after the train had set off from Delhi, it halted somewhere for sometime, and someone told him that some persons had gotten off from general coaches. This seemed to suggest that the suspects who had planted the bombs had gotten off from the train during its journey. However, this fact was not investigated, and prosecution put forth the version that accused had not travelled in the train, which was diametrically opposite to the statement of witness. The Court also noticed that no evidence regarding any meeting between the accused persons necessary to prove charges of conspiracy was produced. Neither any call detail records (CDRs) of any mobile phone nor any other evidence pertaining to ownership and possession of any mobile phone by the accused persons was brought on record. 'Scientific evidence untapped' :Why finger prints of accused were not examined? The NIA court could not mince words in expressing disappointment at the prosecution's failure to examine the fingerprints of the accused to match them against the finger prints in the plastic bottles used for blasts. It said : "...very strangely, it is nowhere made out from evidence produced on record by the NIA that such report of Finger Print Expert was got matched/ compared with the finger prints of the suspected persons or the accused so as to get vital clue about the use of plastic bottles in the explosions carried out in Samjhauta Express train blast and again vital piece of evidence in the shape of scientific evidence has remained untapped" No evidence to prove motive The Court also bemoaned the fact that there was no evidence to establish the alleged motive behind the crime. The sole evidence in that regard was a statement by a witness that he had heard Aseemanand speak at Bhopal in April 2008 that Hindus should retaliate jehadi attacks. It was found to be sorry attempt by the prosecution, as the said statement was made more than a year after the blasts, and did not reflect that the accused had any such intention prior to the crime. The Court listed the chinks in prosecution case as follows : No iota of evidence to make out any motive on the part of accused No evidence to show how the explosives were sourced, prepared, assembled, and planted. No credible evidence regarding meeting, planning, association and execution of conspiracy by the accused persons. No evidence regarding previous or subsequent conduct of the accused regarding alleged conspiracy. The Court slammed the prosecution by noting that they relied on evidence in the form of inadmissible confession statements, and disclosure statements of accused which were not admissible as they had not led to discovery of any new fact as per Section 27 of the Indian Evidence Act. "A few bits here and a few bits there on which prosecution relies cannot be held to be adequate or connecting the accused with the crime in question", it said. It observed that the NIA "miserably failed" to prove charges against the accused. "There are gaping holes in the prosecution evidence and an act of terrorism has remained unsolved", lamented the Court.

मीडिया मंच पर भी पीएम गलत तथ्य रखे तो फिर मीडिया को सच बताना चाहिये

'पुण्य प्रसून बाजपेयी'

किसी भी मीडिया हाउस के लिये ये उपलब्धि हो सकती है कि उसके उद्घाटन में प्रधानमंत्री आ जायें। ठीक वैसे ही जैसे 31 मार्च 2019 को दिल्ली में एक न्यूज चैनल के उद्धघाटन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहुंच गये। एतराज किसी को होना ही चाहिये। क्योंकि न्यूज चैनल की शुरुआत ही अगर देश के सबसे बडे ब्रांड की मौजूदगी के साथ हो रही है तो फिर बात ही क्या है।

लेकिन इसका ये अर्थ भी कतई नहीं होना चाहिये प्रधानमंत्री की मौजूदगी में पत्रकारिता करना भूल जाया जाये। और वह भी तब जब देश लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ चुका हो। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 10 दिन बाद पहले चरण की वोटिंग हो। दरअसल पत्रकारिता तलवार की धार पर चलने के समान है और यही चूक बार बार मीडिया कर्मियो से हो रही है। ऐसे मौके पर पत्रकारिता का मिजाज क्या कहता है। ये सवाल कोई भी कर सकता है। खासकर जो पत्रकार इस दौर में समझ नहीं पा रहा है कि सत्ता के करीब रहा जाये या सत्ता से दूर। पत्रकारिता करने के लिये सत्ता से करीब या दूर होना कोई मायने नहीं रखता है बल्कि पत्रकारिता तो तथ्यों के साथ सत्ता पर भी निगरानी रखती है और सत्ता को राह भी दिखाती है कि वह गलत बयानी कर बच नहीं सकती। यानी सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कान्फ्रेन्स नहीं करते हैं या फिर न्यूज चैनलों में एकतरफा भाषण देकर चले जाते हैं। सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी बतौर पालेटिशन अपना पोजिशनिंग करते है। लेकिन मीडिया खुद की पोजेशनिंग बतौर पत्रकार क्यों नहीं कर पाते। यानी पीएम ने जो कहा वह सच है भी नहीं ये तो मीडिया बता ही सकता है। यानी रियल टेस्ट प्रधानमंत्री के भाषण के बाद होना चाहिये। कोई चैनल अगर शुरु ही प्रधानमंत्री के भाषण से हो रहा है तो फिर अगला कार्यक्रम ना सही लेकिन शाम के प्राईम टाइम में तथ्यों के साथ चैनल को ये बताने की समझ तो होनी चाहिये कि प्राधानमंत्री जो कह गये वह कितना सही है। क्योंकि देश में जब सत्ताधारी राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि कैबिनेट स्तर के मंत्री और खुद प्रधानमंत्री कोई भी आंकडे रखकर अपने छाती ठोंकते हुये चले जाते हैं तो फिर सवाल ये नहीं कि सत्ता ने गलत क्यों बोला। सवाल ये है कि पत्रकार ने सच या सही क्यो नहीं बताया।

तो न्यूज चैनल के उद्धघाटन में पीएम मोदी ने अपने भाषण में कालेधन पर नकेल कसने का जिक्र किया। बैकिंग प्रणाली को कितना मजबूत किया है इसके विस्तार से जिक्र किया। और यहीं से सवाल उठा कि प्रधानमंत्री जो भी कह गये क्या उस पर सवाल नहीं उठना चाहिये। मोदी बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पीएम बनने से तीन साल पहले से कह रखा था कि कालेधन पर एसआईटी बनाइये। लेकिन मनमोहन सरकार ने नहीं बनाया और सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट में उन्होने एसआईटी बनाने का निर्णय ले लिया। जबकि हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2011 को कालेधन को लेकर मनमोहन सत्ता क्या कर रही है इसका जवाब मांगा था। और साफ तौर पर कहा था कि विदेशों में कितना कालाधन है इसका कोई आंकडा बताने की स्थिति में सरकार कब आ पायेगी। और तब के वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जब तक दुनिया के तमाम देशों के साथ ये समझौता नहीं हो जाता है कि वहां के बैंको में जमा भारतीय नागरिकों के कालेधन की जानकारी दें तब तक मुश्किल है। और समझना होगा कि एसआईटी बनाने का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2014 में किया। बकायदा आरटीआई एक्ट के तहत आरटीआई को बनाने के लिये कहा। और तब मनमोहन सरकार को लगा कि देश में चुनाव होने वाले है तो फिर चुनाव के बाद जिसकी सरकार बनेगी वह एसआईटी बनाये तो बेहतर होगा। और 27 मई 2014 को मोदी ने अपने पहली कैबनेट में एसआईटी बनाने का एलान कर दिया। यानी सवाल तीन साल का नहीं था।

लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा सच जो पीएम मोदी हमेशा छुपा लेते हैं कि एसआईटी तो आरटीआई कानून के तहत बना है तो सारी जानकारी जनता को मिलनी चाहिये और इसी प्रक्रिया में एसआईटी बनने के बाद 28 अक्टूबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा मोदी सत्ता को निर्देश दिया कि 24 घंटे के भीतर वह बताये कि विदेशी बैको में किन भारतीयों का कालाधन जमा है और हालात देखिये उसके बाद साढ़े चार बरस बीत गये लेकिन आजतक मोदी सत्ता ने उन नामो का खुलासा नहीं किया जिनका कालाधन विदेशी बैकों में जमा है। तो क्या कालेधन पर पीएम के बयान से ही एक रिपोर्ट तथ्यों के साथ दिखायी नहीं जानी चाहिये।

खैर अपने भाषण में पीएम मोदी सबसे ज्यादा बैकों को लेकर बोले कि कैसे उन्होने पांच बरस के भीतर डूबती बैंकिग प्रणाली को ठीक कर दिया । तो क्या न्यूज चैनल का काम सिर्फ मोदी का भाषण अपने मंच से दिलवाना भर ही होना चाहिये या फिर चैनल को इससे सुनहरा अवसर नहीं मिलता कि उनके मंच पर आकर पीएम कुछ भी कहकर नहीं जा सकते। यानी शाम के प्राईम टाइम में तो बकायदा पांच बरस में कैसे बैकों का बंटाधार हुआ है इसको लेकर घंटे भर का कार्यक्रम तक बनाया जा सकता है और खबर पीएम का भाषण ही है।

क्योंकि ये पहली बार हुआ कि बैकों में जमा जनता की कमाई की रकम की लूट को छुपाने के लिये मोदी सत्ता ही सक्रिय हो गई। हालात इतने बुरे हो गये कि सत्ता में आने के बाद बरस दर बरस बैकों की फाईल साफ सुधरी दिखायी दे उसके लिये सिलसिलेवार तरीके से लूट की रकम को रिटन ऑफ किया गया। जबकि रिकवरी ना के बराबर हुई। मसलन 2014-15 में 49,018 करोड रिटन ऑफ किया गया और रिकवरी हुई सिर्फ 5461 करोड। 2015-16 में रिटन ऑफ किया गया 57,585 करोड और रिकवरी की गई महज 8096 करोड। 206-17 में रिटन ऑफ किया गया 81,683 करोड और रिकवरी हुई 8680 करोड़। 2017-18 में रिटन ऑफ किया गया 84,272 करोड रुपये और रिकवरी हुई महज 7,106 करोड रुपये। यानी पहले चार बरस में बैकों की फाइलो में कर्ज लेकर लूट लिये गये 2,72,558 करोड रुपये नजर ना आये इसकी व्यवस्था की गई। जबकि बैकों की सक्रियता इन चार बरस में रिकवरी कर पायी सिर्फ 29,343 करोड रूपये। तो फिर बैंको में कैसे सुधार मोदी सत्ता के दौर में आ गया क्योंकि अनूठा सच तो ये भी है कि करीब 90 फिसदी एनपीए रिटन आफ कर दिया गया। और अगर बैकों के जरीये हालात को समझे तो 2014 से 2018 के बीच यूको बैंक ने कोई रिकवरी की ही नहीं जबकि कर्ज दे दिया 6087 करोड जिसे मोदी सरकार ने रिटन आफ कर दिया। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैक ऑफ इंडिया ने इन चार बरस में कर्ज की रिकवरी की सिर्फ 10,396 करोड, और जो रिकवरी नहीं हो पायी वह रकम है 1,02,587 करोड़ रुपये। और इस रकम को बैंको की फाइलो से रिटन आफ कर दिया। और ये बकायदा रिजर्व बैंक के जरीये जारी कि गई 21 बैंको की सूची है जो साफ साफ बताती है कि आखिर जो एनपीए 2014 में सवा दो लाख करोड का था वह 2019 में बढ़ते बढते 12 लाख करोड भी पार कर चूका है और एनपीए का बढ़ना महज इंटरेस्ट रेट नहीं होता है बल्कि इस दौर में कर्ज देकर लूट को बढ़ाने की सिलसिला भी कैसे सिस्टम का हिस्सा हो गया।

और लूट को रोकने का जो दावा प्रधानमंत्री चैनल के उदघाटन भाषण में कर गये उस पर तो चैनल को अलग से रिपोर्ट तैयार कर बताना चाहिये कि कैसे बीते पांच बरस के दौर में बैक फॉड के मामले हवाई गति से बढ़े हैं। जरा इसके सिलसिले को परखे एसबीआई (2466) बैंक आफ बड़ौदा (782) बैंक आफ इंडिया (579) सिंडिकेट बैंक (552) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया (527) पीएनबी(471) यूनियन बैंक आफ इंडिया (368) इंडियन ओवरसीज बैंक (342)केनरा बैंक (327) ओरियंट बैंक आफ कामर्स (297) आईडीबीआई (292) कारपोरेश बैंक (291) इंडियन बैंक (261) यूको बैंक (231) यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया (225) बैंक आफ महाराष्ट्र(170) आंधा बैंक (160) इलाहबाद बैंक (130) विजया बैंक (114) देना बैंक (105) पंजाब एंड सिंघ बैंक (58) ..ये बैंकों में हुये फॉड की लिस्ट है। 2015 से 2017 के दौरान बैंक फॉड की ये सूची साफ तौर पर बतलाती है कि कमोवेश हर बैंक में फॉड हुआ।

सबसे ज्यादा स्टेट बैंक में 2466, तो पीएनबी में 471, और सभी को जोड दीजिये तो कुल 8748 बैंक फाड बीते तीन बरस में हुआ। यानी हर दिन बैंक फॉड के 8 मामले देश में होते रहे। पर सवाल सिर्फ बैंक फॉड भर का नहीं है। सवाल तो ये है कि बैंक से नीरव मोदी मेहूल चौकसी और माल्या की तर्ज पर कर्ज लेकर ना लौटाने वालों की तादाद की है। और अरबों रुपया बैंक का बैलेंस शीट से हटाने का है। और सरकार का बैंको को कर्ज का अरबों रुपया राइट ऑफ करने के लिये सहयोग देने का है। यानी सरकार बैंकिंग प्रणाली के उस चेहरे को स्वीकार चुकी है, जिसमें अरबो रुपये का कर्जदार पैसे ना लौटाये। क्योकि क्रेडिट इनफारमेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सिविल के मुताबिक इससे 1,11,738 करोड का चूना बैंकों को लग चुका है और 9339 कर्जदार ऐसे हैं जो कर्ज लौटा सकते हैं पर इंकार कर दिया। और पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने जब इन डिफाल्टरों का नाम पूछा तो रिजर्व बैंक की तरफ से कहा गया कि जिन्होंने 500 करोड से ज्यादा का कर्ज लिया है और नहीं लौटा रहे है उनके नाम सार्वजनिक करना ठीक नहीं होगा। अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। तो ऐसे में बैंकों की उस फेरहिस्त को पढ़िये कि किस बैंक को कितने का चूना लगा और कर्ज ना लौटाने वाले हैं कितने।

तो एसबीआई को सबसे ज्यादा 27716 करोड़ का चूना लगाने में 1665 कर्जदार हैं, पीएनबी को 12574 करोड का चूना लगा है और कर्ज लेने वालों की तादाद 1018 है, इसी तर्ज पर बैंक आफ इंडिया को 6104 करोड़ का चूना 314 कर्जदारों ने लगाया, बैंक आफ बडौदा को 5342 करोड का चूना 243 कर्जदारों ने लगाया, यूनियन बैंक को 4802 करोड का चूना 779 कर्जदारों ने लगाया, सेन्ट्रल बैंक को 4429 करोड का चूना 666 कर्जदारों ने लगाया, ओरियन्ट बैंक को 4244 करोड का चूना 420 कर्जदारों ने लगाया, यूको बैंक को 4100 करोड़ का चूना 338 कर्जदारों ने लगाया, आंध्रा बैंक को 3927 करोड का चूना 373 कर्जदारों ने लगाया, केनरा बैंक को 3691 करोड का चूना 473 कर्जदारों ने लगाया।

आईडीबीआई को 3659 करोड का चूना 83 कर्जदारों ने लगाया और विजया बैंक को 3152 करोड़ का चूना 112 कर्जदारों ने लगाया। तो ये सिर्फ 12 बैंक हैं।

जिन्होंने जानकारी दी कि 9339 कर्जदार है जो 1,11,738 करोड नहीं लौटा रहे हैं। फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं है उल्टे सरकार बैंकों को मदद कर रही हैं कि वह अपनी बैलेंस शीट से अरबो रुपये की कर्जदारी को ही हटा दें।

जाहिर है पीएम को उद्धघाटन में बुलाकर चैनल मे अपनी धाक जमा ली। लेकिन पीएम के कथन के पीछे के सच को अगर चैनल दिखाने की हिम्मत रखता तो वह वाकई भारतवर्ष कहलाता अन्यथा रायसीना हिल्स और लुटियनस की दिल्ली में बसे चमके इंडिया की कहानी तो रेड कारपेट है। जिसपर चलते हुये दिखने का शौक अब हर मीडियाकर्मी को हो चला है। और शायद इसीलिये अब तथ्यों पर उतना ध्यान ना राजनीति देती है ना ही मीडिया। क्योंकि सभी की नजर सत्ता की कुर्सी पर रहती है इसीलिये जन-सरोकार पीछे छूट रहे हैं।

विचारों की नाव में डूबा कालीदास

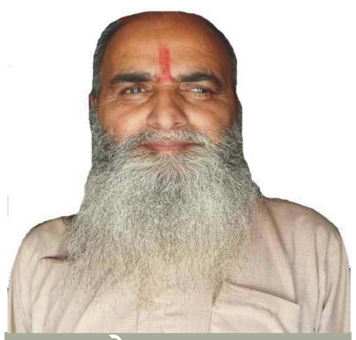

देव राज

जिस राष्ट्र में व्यक्ति पूजा बढ़ने लगती है वो राष्ट्र विकास की नही बल्कि अन्धविश्वास को प्राप्त होता है। हमारे देश की राजनैतिक पार्टीयां आज ईस्ट इंडिया कम्पनी से कम नही है।

चुनाव आयेाग को इन पर नकेल कसनी होगी। जो पार्टी लोकसभा की दो तिहाई सीटों पर उम्मीदवार खड़ा नही करती उनकी राष्ट्रीय मान्यता समाप्त की जाये ठीक है अगर कोई योग्य है तो वह निर्दलीय भी चुनाव जीत सकता है। देश में आज जहां नेताओं की शैक्षणिक योग्यता स्वास्थ्य एंव आयु सीमा अवधि नियम बनने चाहिए ताकि राष्ट्र को शिक्षित, स्वस्थ व युवा व्यक्तित्व उन्नति के शिखर पर ले जाये। हमारे देश व नेताओं के अनुभवों का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार सभा का गठन किया जाए ताकि राष्ट्र वृद्धों का अनुभव व युवाओं का जोश मिलकर शक्तिशाली बने सके। आज धर्म के मायने बदल रहे हैं। हिन्दु संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है धूप के पैकटों पर हनुमान, दुर्गा, शिव, कृष्णा के चित्र लगाकर मार्किट में व्यापार चल रहा है। धोतियों पर गायत्री मंत्र लिखना उसे ओढ़ना आदि मंत्र विज्ञान का उपहास रहा है।

अगर अन्य धर्मो में थोड़ा सा भी विकार आता है तो राष्ट्र साम्प्रदायिक आग में जलने लगता है। बुद्धिमान व्यक्ति आज चौराहे पर भीख मागने लायक रह गया है। समाज के बिगड़ते स्वरूप का चिन्तन करना आज प्रत्येक भारत को खोखला करने में लगे हैं। उनका डट कर मुकाबला करना होगा। राष्ट्र का कानून प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से लागू होना चाहिये। धर्म का उपहास करना अपनी आत्मा को प्रेतात्मा में परिवर्तित करना है। धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है। आज सरकारी स्तर मनुष्य के लिए ऐसी नीतियां बनाई जाएं ताकि परिवार टूटने के बजाये जुड़ने का सुत्रपात कर सके।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या सरकार अदानी के 280 करोड़ लौटाने के लिये 700 करोड़ का कर्ज ले रही है

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिये वर्ष के पहले ही सप्ताह में 700 करोड़ का ऋण लेने जा रही है। सरकार को वर्ष के शुरू में ही कर्ज लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है यह सवाल राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि इसी बीच में अदानी पावर लिमिटेड की एक याचिका प्रदेश उच्च न्यायालय ने के सामने आयी है। CWP No. 405 of 2019 पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार से यह पूछा है कि सरकार बताये की जंगी थोपन पवारी परियोजना को सरकार कैसे आवंटित कर रही है ताकि इस आवंटन के बाद अदानी का 280 करोड़ रूपया वापिस लौटाया जा सके जिसका पहले से ही वायदा कर रखा है। अदानी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मादी का बहुत ही विश्वस्त उद्योग घराना है यह सब जानते हैं। इसलिये अदानी को 280 करोड़ वापिस न करने का स्टैण्ड जब वीरभद्र सरकार ही नही ले पायी थी तो जयराम सरकार ऐसा कैसे कर सकती है यह एक सामान्य समझ की बात है। बल्कि वीरभद्र शासन में ही इसके लिये पूरी ज़मीन तैयार कर दी गयी थी कि अदानी को यह पैसा उच्च न्यायालय के माध्यम से वापिस लेना आसान हो जाये। आज उसी पृष्ठभूमि का सहारा लेकर अदानी उच्च न्यायालय पहुंच गया है। माना जा रहा है कि यह पैसा वापिस करने के लिये ही कर्ज का जुगाड़ किया जा रहा है।

इस परिदृश्य में जंगी थोपन पवारी परियोजना के प्रकरण पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है। स्मरणीय है कि हिमाचल सरकार ने वर्ष 2006 में छः हजार करोड़ के निवेश वाली जंगी-थोपन-पवारी हाईडल परियोजना के लिये निविदायें आमन्त्रित की थी। निविदायें आने के बाद यह परियोजना हालैण्ड की कंपनी ब्रेकल कारपोरेशन को आंवटित कर दी गयी। आवंटन के बाद नियमों के अनुसार कंपनी को 280 करोड़ का अपफ्रन्ट प्रिमियम सरकार में जमा करवाना था। लेकिन यह कंपनी यह पैसा समय पर जमा नहीं करवा पायी और सरकार से किसी न किसी बहाने समय मांगती रही। जब ब्रेकल यह प्रिमियम अदा नहीं कर पायी तब इसी आंवटन की प्रक्रिया में दूसरे स्थान पर रही रिलांयस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने इस मामलें को प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। यह चुनौती दिये जाने के बाद सरकार में भी ब्रेकल के दस्तावेजों की जांच पड़ताल शुरू हो गयी और अपराधिक मामला दर्ज करने की नौबत आ गयी। ब्रेकल को सरकार ने यह आवंटन रद्द करने का नोटिस दे दिया। नोटिस मिलने के बाद ब्रेकल ने अदानी से 280 करोड़ लेकर सरकार में प्रिमियम जमा करवा दिया और सरकार ने इसे ले भी लिया। इससे रिलांयस की याचिका निरस्त हो गयी। सरकार ब्रेकल को नोटिस दे चुकी थी विजिलैन्स ने आपराधिक मामला दर्ज किये जाने की संस्तुती सरकार को भेज रखी थी। इस पर सरकार ने पूरा मामला सचिव कमेटी को फिर से जांच के लिये भेज दिया। सचिव कमेटी ने ब्रेकल को तलब किया और ब्रेकल के साथ ही अदानी के अधिकारी भी कमेटी में पेश हो गये जबकि उनके आने का कोई कानूनी आधार नही था। लेकिन सचिव कमेटी ने उनकी उपस्थिति पर कोई एतराज नही जताया और यह परियोजना फिर ब्रेकल को ही देने का फैसला कर दिया।

रिलायंस ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। रिलायंस के साथ ही ब्रेकल भी अपना पक्ष लेकर सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया। इन्ही के साथ ही अदानी ने भी सर्वोच्च न्यायालय में यह पक्ष रख दिया कि 280 करोड़ निवेश उसने किया है इस पर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी हो गया। इस नोटिस पर सरकार ने सर्वोच्च न्यायलय में अपना जवाब दायर करते हुए अदालत के सामने यह रखा कि इस परियोजना में हुई देरी से सरकार को 2775 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके लिये ब्रेकल को इस नुकसान की भरपायी करने तथा अपफ्रन्ट प्रिमियम के नाम पर आये उसके 280 करोड़ जब्त करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। सरकार का यह स्टैण्ड अदालत में आने के बाद ब्रेकल ने अपनी याचिका वापिस ले ली। ब्रेकल के याचिका वापिस लेने के साथ ही अदानी की याचिका भी निरस्त हो गयी। लेकिन यह होने के बावजूद आज तक सरकार ने 2775 करोड़ वसूलने के लिये कोई कदम नही उठाये हैं यहां तक कि प्रिमियम के आये 280 करोड़ भी अब तक जब्त नही किये गये हैं।

बल्कि इसमें सबसे दिलचस्प तो यह घटा कि ब्रेकल और अदानी के सर्वोच्च न्यायालय से बाहर आते ही रिलांयस और सरकार में कुछ घटा तथा यह परियोजना फिर से रिलायंस को देने का फैसला कर दिया गया। रिलायंस को इस आश्य का पत्र भी चला गया। रिलायंस ने इस पत्र को स्वीकार करवाने में सहयोग करने का आग्रह कर दिया। रिलायंस को यह सब हासिल करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय से अपनी याचिका वापिस लेनी थी। इसका सरकार के साथ मिलकर सयुंक्त आग्रह अदालत में जाना था। इसके लिये सरकार पहले तैयार हो गयी लेकिन बाद में मुकर गयी। दूसरी ओर जब अदानी सर्वोच्च न्यायालय से बाहर आया तो उसने अपने 280 करोड़ वापिस किये जाने के लिये सरकार को पत्र लिखा। इस पत्र का असर यह हुआ कि जब रिलायंस को यह प्रौजेक्ट देने का फैसला लिया गया तब यह मान लिया गया कि रिलायंस से प्रिमियम आने के बाद अदानी को 280 करोड़ वापिस कर दिये जायेंगे। अब रिलायंस भी पीछे हटने के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव पावर ने निदेशक एनर्जी को पत्र लिखकर यह राय मांगी है कि क्या इस परियोजना को फिर से ब्रेकल को दिया जा सकता है या इसकी फिर से बोली लगायी जाये या राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के किसी उपक्रम को दे दिया जाये। अब यह परियोजना एसजेवीएनएल को दे दी गयी है।

एसजेवीएनएल एक सरकारी उपक्रम है और उसमें अपफंट प्रिमियम देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। ऐसे में इस उपक्रम से अपफ्रन्ट प्रीमियम लेकर अदानी को यह पैसा वापिस करना संभव नही है लेकिन वीरभद्र सरकार में यह पैसा वापिस करने का फैसला मन्त्रीमण्डल ने 2015 में ही ले लिया था। इसी बैठक में यह परियोजना रिलॉयंस को देने का भी फैसला लिया गया था और यह कहा गया था कि रिलायंस से पैसा आने पर अदानी को वापिस दे दिया जायेगा। लेकिन रिलायंस ने 2016 में यह परियोजना लेने से ही इन्कार कर दिया। परन्तु इसके बावजूद वीरभद्र सरकार ने 26 अक्तूबर 2017 को अदानी पावर का पत्र लिखकर यह सूचित कर दिया कि 4 सितम्बर 2015 को अपफ्रन्ट प्रिमियम मनी लौटाने का जो फैसला लिया गया था उसे लागू करने का फैसला लिया गया है। सरकार की ओर से यह सूचना अदानी को तत्कालीन विशेष सचिव ऊर्जा अजय शर्मा की ओर से दी गयी थी। अदानी ने 27 अक्तूबर 2017 का सरकार का पत्र लिखकर इस फैसल के लिये आभार जताया था। इसमें अदानी ने यह भी कहा था कि इस वापसी को रिलांयस के साथ लिंक करने का कोई औचित्य नही बनता है। इस तरह सरकार ने जब यह मान लिया कि अदानी को यह पैसा वापिस दिया जाना बनता है तो उसी को आधार बनाकर अब अदानी ने उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। इसमें 26 अप्रैल को अगली सुनवायी होनी है। माना जा रहा है कि सरकार अगली पेशी से पहले यह पैसा देने का प्रबन्ध कर रही है। जयराम इस विषय पर मूक दर्शक बने हुए हैं क्योंकि जिन अधिकारियों ने वीरभद्र सरकार में यह फैसला लेने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी वही लोग आज भी इसकी पैरवी कर रहे हैं। इन लोगों के लिये इससे कोई फर्क नही पड़ता है कि इस मामले में अब तक प्रदेश को करीब तीन हजार करोड़ का नुकसान पहुंच चुका है।

CWP No.406 of 2019

19.03.2019 Present: Mr. Vikram Nankani, Sr. Advocate with M/s Neeraj Gupta, Malav Deliwala and Janesh Gupta, Advocates, for the petitioner.

Mr. Ashok Sharma, Advocate General with M/s Ranjan Sharma, Adarsh Sharma, Ashwani Sharma, Ritta Goswami and Nand Lal Thakur, Additional Advocate Generals and Ms. Divya Sood, Dy. Advocate General, for the respondent/State.

Notice of motion. Mr. Ranjan Sharma, learned Additional Advocate General accepts notice on behalf of the respondent. Let reply-affidavit be filed by the next date of hearing with advance copy to learned counsel for the petitioner.

The respondent shall also apprise the Court as to what decision has been taken with regard to the allotment (by auction or through any other transparent mode) of the subject Hydro Power Project, so that the amount earlier promised to be refunded to the petitioner, can be refunded.

Post for hearing on ***26th April, 2019.***

(Surya Kant)
Chief Justice

(Sandeep Sharma)
Judge

March 19, 2019
(yashwant/shankar)

सरकार को नहीं पता की तीन लाख एकड़ जमीन कहां है

शिमला/शैल। देश में 1975 में जब आपातकाल लगा था तब गांवों के भूमिहीन लोगों को दस दस कनाल ज़मीने दी गयी थी ताकि कोई भी भूमिहीन न रहे। प्रदेश में इस योजना को पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया गया था। जिन लोगों को इस योजना के तहत ज़मीने मिली थी उन्हे बाद में यहां पर उगे पेड़ों का अधिकार भी दे दिया गया था और इसी के साथ यह भी कर दिया गया था कि यह लोग इन जमीनों को आगे बेच नही सकेंगे। बल्कि आज जब कोई भू-सुधार अधिनियम धारा 118 के तहत अनुमति लेकर जमीन खरीदता है तो बेचने वाले को यह घोषणा करनी पड़ती है कि वह इस जमीन को बेचने के बाद भूमिहीन नही हो रहा है। आपातकाल के दौरान लायी गयी इस योजना से पूर्व 1953 और फिर 1971 में दो बार भू- सुधार अधिनियम आ चुके हैं। 1953 में बड़ी जिमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिये Ablolition of Big Landed Estate Act. लाया गया था। इस अधिनियम के तहत सौ रूपये और उससे अधिक लगान देने वाले जिमींदारों की फालतू जमीने सरकार में शामिल कर ली गयी थी। इसके बाद 1971 में लैण्डसीलिंग एक्ट के तहत 161 बीघे से अधिक जमीन नही रखी जा सकती है। यह कानून लागू हो गया था।

सरकार के इन दोनों कानूनो के लागू होने के बाद सरकार के पास तीन लाख एकड़ जमीन आ गयी थी यह सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में इन्द्रसिंह ठाकुर की याचिका में स्वीकार किया हुआ है। सरकार को मिली यह जमीन भूमिहीनों को दी जानी थी यह भी इन दोनों अधिनियमों मे कहा गया है लेकिन आज भी सरकारी आंकड़ो के मुताबिक प्रदेश में 2,27000 परिवार भूमिहीन हैं। जिनमें से 80% दलित हैं। सरकार के इन आंकड़ों से यह सवाल उठता है कि प्रदेश में दो बार 1953 और 1971 में भू- सुधार अधिनियम लागू हुए हैं और फिर आपातकाल में हर भूमिहीन को 10 कनाल जमीन देने के बाद भी भूमिहीनों का यह आंकडा क्यों? क्या प्रदेश में इन अधिनियमों की अनुपालना केवल सरकारी फाईलों में ही हुई है। पिछले 24 सितम्बर को राज कुमार, राजेन्द्र सिंह बनाम एसजेवीएनएल में आये फैसले के बाद प्रदेश सरकार यह खोजने का प्रयास कर रही है कि उसके पास कितनी जमीने आयी हैं। विजिलैन्स प्रदेश के राजस्व विभाग से यह जानकारी मांगी है लेकिन अभी तक यह जानकारी मिल नही पायी है। सर्वोच्च न्यायालय ने राजेन्द्र सिंह के मामले में स्पष्ट आदेश किये हैं कि जब इन अधिनियमों के बाद इनकी फालतू जमीने सरकार में चली गयी थी तो फिर इनसे विकास कार्यो के नाम पर मुआवजा देकर ज़मीने कैसे ली गयी।

सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे परिवार के ऐसे चलने को फॉड की संज्ञा देते हुए इन्हें दिये गये मुआवजे को ब्याज सहित वापिस लेने के आदेश दिये हैं। लेकिन जयराम सरकार अभी तक इस आदेश की अनुपालना नहीं कर पायी है। बल्कि सरकार के पास ऐसा रिकार्ड ही अभी उपलब्ध नहीं है। बल्कि एफ सी अपील ने इस परिवार को जो 98 बीघे जमीन सरप्लस घोषित की थी उस जमीन को भी सरकार अभी तक शायद अपने कब्जे में नहीं ले पायी है। इसी तरह तीन लाख एकड़ जमीन की हकीकत है।